खण्ड-470, अंक-1
मंगलवार, 21 माघ, शक संवत् 1930
(10 फरवरी, 2009 ई0)

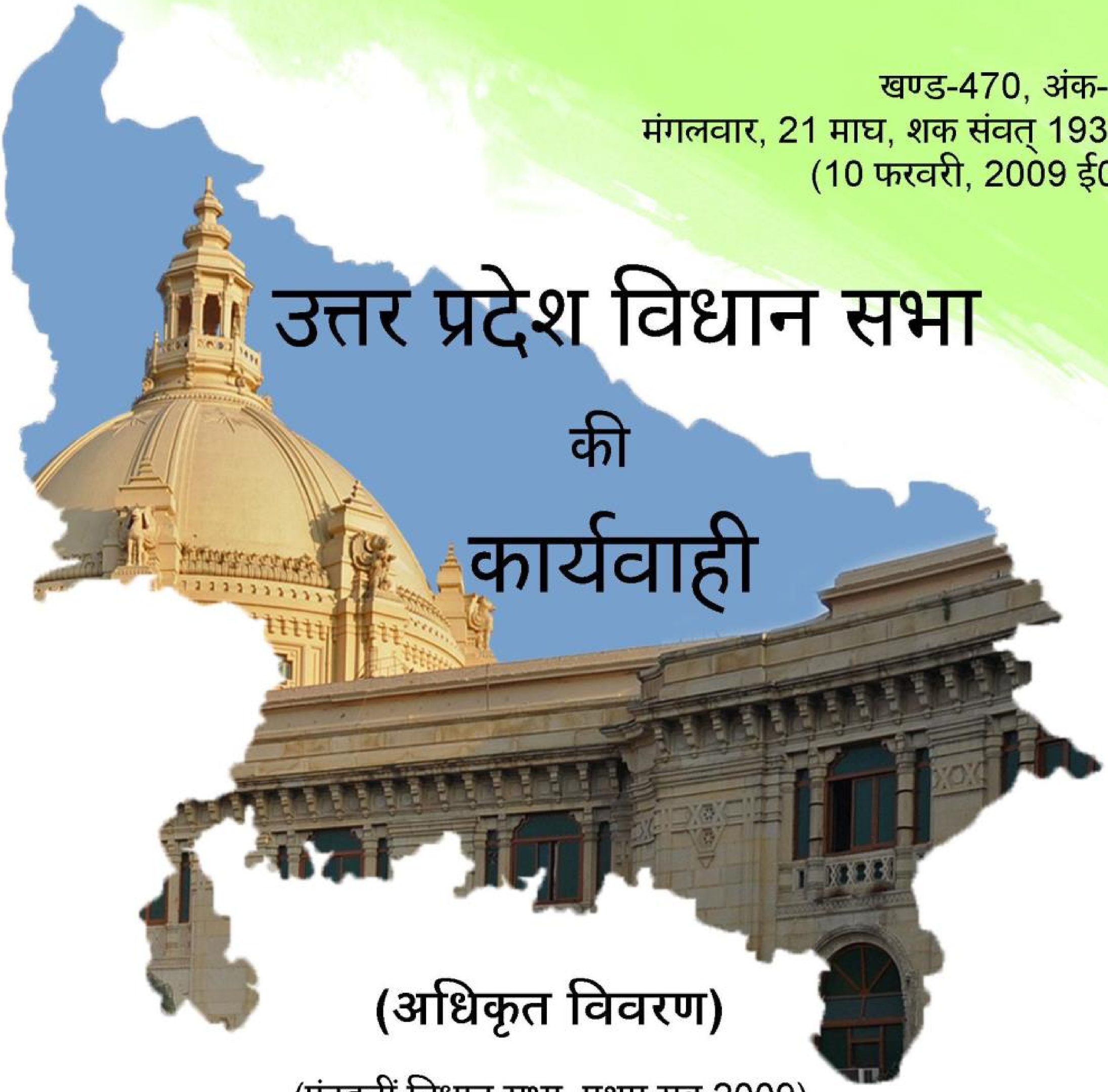

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	क-ड
उपस्थित सदस्य	ण-प
राष्ट्रीय-गीत	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न	1-5
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	5-39
डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	39
सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	40
उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	40
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2008 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	40
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	40
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	42
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	42-43
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (निर्धारित समय के उपरान्त भी विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)	43-44
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (निर्धारित समय के उपरान्त भी विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना) ...	44
उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	44-45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	45
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	46-47
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	47
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	47
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी)	47-49
कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में बजट अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय तीन दिन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	49-53
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	53-54

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

---

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय यादव, श्री — एटा
9. अजय राय, श्री — वाराणसी
10. अजय सिंह, श्री — जालौन
11. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
16. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
17. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
18. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
19. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
20. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
21. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
22. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
23. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
24. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
25. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
26. अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
27. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
28. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
29. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
30. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
31. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
32. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
33. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
34. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
35. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
36. अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
38. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
39. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
40. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
41. अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदासनगर (भदोही)
42. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
43. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
44. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
45. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
46. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
47. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दुबे, श्री — महराजगंज
48. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
49. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
50. अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

51. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
52. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
53. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
54. अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
55. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
56. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
57. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
58. आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
59. आर0 ए0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी
60. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
61. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
62. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
63. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
64. आसिफ, श्री — हरदोई
65. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
66. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
67. इमरान मसूद, श्री — सहारनपुर
68. इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
69. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
70. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
71. उदयराज, श्री — उन्नाव
72. उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
73. उमलेश यादव, श्रीमती — बदायूँ
74. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
75. उस्मानुल हक, श्री — मुरादाबाद
76. ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
77. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
78. ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
79. कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
80. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
81. कादिर राणा, श्री — मुजफ्फरनगर
82. कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
83. कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
84. काशीराम, श्री — रामपुर
85. कुबेर सिंह, श्री — एटा
86. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रूखाबाद
87. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
88. कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
89. कृष्ण कुमार, श्री — बहराइच
90. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
91. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
92. कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
93. के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
94. केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
95. कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
96. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
97. कौकब हमीद खाँ, श्री — बागपत
98. कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
99. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
100. गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
101. गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
102. गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
103. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
104. गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
105. गेंदा लाल चौधरी, श्री — हाथरस (महामायानगर)
106. गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
107. घूराराम, श्री — बलिया
108. चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
109. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री — सुल्तानपुर
110. चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
111. चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
112. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
113. छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली
114. छोटे सिंह, श्री — जालौन
115. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
116. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
117. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा

118. जगपाल, श्री सहारनपुर
119. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
120. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
121. जमुना निषाद, श्री गोरखपुर
122. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
123. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
124. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
125. जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
126. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
127. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,श्री बस्ती
128. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
129. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
130. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
131. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
132. ताहिर हुसैन सिद्दीकी,श्री फर्रूखाबाद
133. तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
134. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
135. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
136. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
137. दयाराम, श्री कौशाम्बी
138. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
139. दाउद अहमद, श्री हरदोई
140. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
141. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
142. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
143. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
144. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
145. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
146. दूधराम, श्री बस्ती
147. धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
148. धनीराम वर्मा, श्री औरैया
149. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
150. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
151. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
152. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
153. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
154. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
155. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
156. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
157. धू राम लोधी (चौधरी), श्री हमीरपुर
158. नकुल दुबे, श्री लखनऊ
159. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
160. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
161. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रूखाबाद
162. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
163. नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
164. नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री ललितपुर
165. नारायण सिंह, श्री आगरा
166. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
167. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
168. पंकज कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
169. पशुपति, श्री गाजीपुर
170. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
171. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
172. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
173. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
174. प्रजापालन, श्री एटा
175. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
176. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
177. प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री झाँसी
178. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
179. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
180. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया

181. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
182. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
183. प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
184. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
185. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
186. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
187. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
188. फागू, श्री मऊ
189. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
190. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
191. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
192. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
193. बिरजू राम, श्री जौनपुर
194. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
195. बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
196. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
197. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
198. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
199. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
200. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
201. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
202. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
203. भोला, श्री आजमगढ़
204. मंजू, श्रीमती बलिया
205. मदन भैया, श्री बागपत
206. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
207. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
208. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
209. ममतेश शाक्य, श्री एटा
210. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
211. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
212. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
213. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
214. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
215. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
216. महेश चन्द्र, श्री कानपुर देहात
217. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
218. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
219. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
220. मिथिलेश कुमार कठेरिया, श्री शाहजहाँपुर
221. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
222. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
223. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
224. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
225. मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
226. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
227. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
228. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
229. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
230. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
231. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
232. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
233. मोहम्मद ताबीश खां, श्री सन्तकबीर नगर
234. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
235. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
236. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
237. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
238. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
239. याकूब हाजी, श्री मेरठ
240. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
241. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
242. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
243. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

233. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
234. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
235. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
236. यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
237. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
238. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
239. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
240. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
241. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदासनगर (भदोही)
242. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
243. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर — प्रतापगढ़
244. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
245. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
246. रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर — कुशीनगर
247. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
248. रफी अहमद उस्मानी, डा0 — लखीमपुर खीरी
249. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
250. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
251. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
252. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
253. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
254. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
255. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
256. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
257. राघव लखन पाल, श्री — सहारनपुर
258. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
259. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
260. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
261. राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
262. राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
263. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
264. राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
265. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
266. राजीव त्रेहन उर्फ राजीव चन्ना, श्री — मुरादाबाद
267. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
268. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
269. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
270. राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
271. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
272. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
273. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
274. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
275. राजेश यादव, श्री — शाहजहाँपुर
276. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
277. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
278. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
279. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
280. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
281. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
282. राम किशुन, श्री — चन्दौली
283. राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
284. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
285. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
286. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
287. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
288. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
289. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
290. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा

291. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
292. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
293. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
294. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
295. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
296. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूँ
297. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
298. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
299. रिजवान अहमद खाँ, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
300. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
301. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
302. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
303. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
304. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
305. लालजी टंडन, श्री — लखनऊ
306. लाल जी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
307. लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
308. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
309. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
310. वारिस अली, श्री — बहराइच
311. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
312. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
313. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
314. विजय कुमार मिश्र, श्री — सन्त रविदासनगर (भदोही)
315. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
316. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
317. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
318. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
319. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
320. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
321. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
322. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
323. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
324. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
325. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
326. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
327. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
328. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
329. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
330. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
331. वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
332. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
333. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
334. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
335. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
336. शहनवाज, श्री — बिजनौर
337. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
338. शिव गणेश लोधी, श्री — रायबरेली
339. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
340. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
341. शिवशंकर, श्री — बलिया
342. शीशराम, श्री — बिजनौर
343. शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
344. शेखर तिवारी, श्री — औरैया
345. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
346. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
347. श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) — वाराणसी
348. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
349. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
350. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
351. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
352. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया

353. श्रीभगवान शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
354. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
355. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
356. संजय कपूर, श्री — रामपुर
357. संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री — कानपुर नगर
358. संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
359. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
360. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
361. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
362. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
363. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
364. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
365. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
366. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
367. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
368. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
369. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
370. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूं
371. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
372. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
373. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
374. सी0 वी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित
375. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
376. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
377. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
378. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
379. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
380. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
381. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
382. सुभाष, श्री — बलिया
383. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
384. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
385. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
386. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
387. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
388. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
389. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
390. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
391. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
392. सुशील कुमार, श्री — चन्दौली
393. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
394. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
395. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
397. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
398. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
399. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
400. हरिओम, श्री — जालौन
401. हसरत उल्ला, श्री — एटा
402. हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
403. होराम सिंह, श्री — गौतमबुद्धनगर
*404. रिक्त — सन्त रविदासनगर (भदोही)

*श्रीमती अर्चना सरोज, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 233 भदोही (सन्त रविदासनगर) की दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न में हुई मृत्यु के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल
श्री टी0वी0 राजेस्वर,
मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, विकलांग कल्याण, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण, कारागार प्रशासन एवं सुधार, खाद्य प्रसंस्करण तथा सैनिक कल्याण।
2	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई (नलकूप एवं लघु डाल नहर को छोड़कर), आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
3	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
4	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा
5	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन
6	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात
7	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	सहकारिता
8	श्री वेद राम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
9	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
11	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज
12	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
13	श्री फागू चौहान	राजस्व
14	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन (संस्थागत वित्त, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)
15	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास
16	श्री नरायन सिंह	उद्यान
17	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद (उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप को छोड़कर)
18	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा
19	श्री राम अचल राजभर	परिवहन
20	श्री बादशाह सिंह	श्रम
21	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा
22	श्री अनन्त कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
23	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
24	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क
25	श्री चन्द्रदेव राम यादव	लघु उद्योग
26	श्री अशोक कुमार दोहरे	भूमि विकास एवं जल संसाधन
27	श्री फतेह बहादुर	वन, जन्तु उद्यान
28	श्री रामहेत	निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप
29	श्री राजपाल त्यागी	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
30	श्री सुभाष पाण्डेय	संस्कृति
31	श्री धर्मराज निषाद	मत्स्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	2	3
1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण
3	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग
4	श्री विनोद सिंह	पर्यटन
5	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई
6	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण
7	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास
8	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास
9	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
10	श्री सदल प्रसाद	व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा
11	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
12	श्री रतन लाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास
13	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन (व्यावसायिक शिक्षा के अधीन विभागों को छोड़कर)
14	श्री जयवीर सिंह	नलकूप एवं लघु डाल नहर

राज्य मंत्री

1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
3	श्री राजेश त्रिपाठी	होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य
4	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ
5	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा
6	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल
7	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नेता विरोधी दल

श्री मुलायम सिंह यादव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),

3-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

4-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

5-श्री सी0एम0 प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (सोनभद्र),

6-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),

7-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

8-श्री पी0के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

10-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-345

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ
कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आसिफ, श्री — हरदोई
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री — सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री — उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री — वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह
(ओ0पी0सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री — कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ
नवेद मियां, नवाब — रामपुर
कादिर राणा, श्री — मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर

कार्शाराम, श्री — रामपुर
कुवेर सिंह, श्री — एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री — फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ
सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री — लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती — लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0 — जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री — बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री — बागपत
कौशल किशोर, डा0 — लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत — बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री — मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री — आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री — इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री — बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
घूराराम, श्री — बलिया
चन्द्रदेव, श्री — आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री — मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री — सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री — बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फर्साहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
बिरजू राम, श्री — जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मंजू, श्रीमती — बलिया
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कठेरिया, श्री — शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री — लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
मोहम्मद तावीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री — गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव त्रेहन उर्फ	
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ	
पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

न

विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), सहाकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

वन्दे मातरम् का गायन होगा।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कहां तिवारी जी, तुरन्त ही व्यवस्था आ गई।

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन का इस वर्ष का पहला दिन है और परम्परा के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण 11.00 बजे प्रस्तुत किया जाना था। मान्यवर, मैंने इस प्रश्न को इस समय इसलिये उठाया है कि इसके तत्काल बाद आपको महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़कर सदन को सुनाना है। मान्यवर, मैं सिर्फ आपको इस कष्ट से बचाना चाहता हूं कि आपको अभिभाषण पढ़कर सुनाना न पड़े। क्योंकि मान्यवर, आपके पीछे एक घड़ी लगी हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11.00 बजे के लिये यह सदन आहूत किया गया था और यह था कि 11.00 बजे महामहिम श्री राज्यपाल आयेंगे और कृपा पूर्वक वह अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, यह सदन मेरी घड़ी से नहीं, यह सदन आपकी घड़ी से जो पीछे लगी है महात्मा गांधी जी के चरणों में लगी हुई है। पूरा सदन साक्षी है और मैं जानता हूं कि एक सच को न बोलने की कसम कुछ लोगों ने खा रखी है जैसे हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हैं वो अभी भूल ही जायेंगे। परन्तु मैं जानता हूं मान्यवर और पूरे सदन ने देखा है कि महामहिम राज्यपाल आज कुछ जल्दी में थे। (व्यवधान) अब आपने अच्छी चीज न देखने की कसम खा रखी है और सच न बोलने की कसम उन्होंने खा रखी है। इसलिये वे 11.00 बजे से कुछ समय पहले आ गये थे। मान्यवर, कम से कम समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में और लोक दल में और बहुत से लोग थे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 बजकर 57 मिनट पर सदन में प्रवेश किया और 10 बजकर 58 मिनट पर वह खड़े हुए और कुछ बोलने का प्रयास किया। क्योंकि उनका अभिभाषण जो था वह पूरी तरह सत्य से परे था और कुल मिलाकर जो कुछ वो कहने जा रहे थे वह सही नहीं था, इसलिये हम लोगों ने उनका विरोध किया और 10 बजकर 59 मिनट पर वह क्या बोल कर, क्या कह कर गये अभिभाषण तो उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया। वो चले गये। मान्यवर, जो निश्चित समय था उससे पहले प्रस्थान कर गये तो जो एक संविधान की औपचारिकता है जिसके अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय शासन के सुझावों पर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-मण्डल के सुझावों पर निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर, निश्चित स्थान पर अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं मान्यवर, वह हुआ ही नहीं। मैं मान लेता यदि वह 11.00 बजे आते, पढ़ते न पढ़ते, अगर पटल पर भी रख देते तो उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता लेकिन यहां तो वे समय के पहले आये और समय के पहले चले गये। मान्यवर, इस तरह महामहिम राज्यपाल जी की जो सूचना थी उसका उल्लंघन उनके द्वारा स्वयं किया गया। आप भी उस समय पदासीन थे, मेरे ख्याल से आप उस समय इधर देख रहे थे। आपने घड़ी नहीं देखी होगी। आप झूठ बोल ही नहीं सकते। बोलें भी तो हमें नहीं कहना कि आपने बोला। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वो 10 बजकर 57 मिनट पर आये। 10.59 पर वह चले गये। मान्यवर, मैं इस पर कृपापूर्वक चाहता हूं कि आपकी रूलिंग आए कि क्या 11 बजे के पहले निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित तिथि पर जो किया गया जो कुछ भी कहा गया, वह अभिभाषण तो नहीं था तो क्या वह अभिभाषण होगा जो आप पढ़कर सुनाने जा रहे हैं ? मान्यवर, मैं इस संदर्भ में, इस संवैधानिक प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें क्या व्यवस्था है ?

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज की कार्यसूची के मद संख्या-2 पर अंकित है कि "माननीय अध्यक्ष, श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़कर सुनायेंगे। श्रीमन् पूरा अभिभाषण महामहिम राज्यपाल पढ़ें यह आवश्यक नहीं है और सदन में हमारे यहां एक स्थापित नियम भी है शुरू से अगर पूरा भाषण किसी स्तर पर चाहे वह महामहिम राज्यपाल जी का हो किसी माननीय मंत्री जी का हो या फिर लिखित भाषण किसी माननीय सदस्य का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, तो उसका अगर कुछ अंश पढ़ा जाए और अगर सदन स्वीकार कर ले कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। श्रीमन् उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-19 (1) में है कि 'सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत् हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे।' मान्यवर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 176 (1) में भी इसकी व्यवस्था है, संविधान और नियमावली दोनों में यह बाध्यकारी व्यवस्था है कि महामहिम राज्यपाल जी वर्ष के प्रारम्भ में पहले सत्र में आयेंगे तो दोनों सदनों का जो समवेत् सत्र होगा उसको सम्बोधित करेंगे और श्रीमन्, उसके बाद कार्य-संचालन नियमावली के 19 (2) में-'राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे।' श्रीमन्, मैं इस नियम को आपके सम्मुख इसलिए पढ़ना चाह रहा था कि यह ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मनमाने ढंग से इसकी व्याख्या की जा सके कि मन करे तो आओ, मन करे तो न आओ, मन करे तो पढ़ो, मन करे तो न पढ़ो वहां से चिट्ठी भेज दें या छपा हुआ कोई भाषण सरकार उनकी ओर से रख दे और माननीय अध्यक्ष जी वह छपा हुआ भाषण ही पढ़ दें और यह मान लिया जाए कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण का पाठ सदन में कर दिया। श्रीमन् तथ्य यह है कि महामहिम राज्यपाल जी ने जिन कारणों से, जो कारण सम्मुख थे उनका उल्लेख करना ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका मन इसको पढ़ने का कितना रहा होगा, कितना नहीं रहा होगा यह अलग स्थिति है। उनकी अपनी भूमिका को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं वह दूसरा प्रश्न है महामहिम राज्यपाल की भूमिका जो होनी चाहिए वह उस भूमिका में हैं या उस भूमिका से परे है या उससे आगे है या कुछ दूसरी भूमिकायें उनकी हैं जैसा माननीय सदस्यों ने उल्लिखित किया हम आपसे सिर्फ यह कहना चाहते हैं आप मान्यवर, चाहें तो स्वयं इसकी पुष्टि कर लें महामहिम राज्यपाल ने जो कुछ बोला, यह सारे स्पीकर्स जुड़े हुए हैं जो हम लोगों की टेबिल पर हैं मौननीय मंत्रीगण की, माननीय सदस्यगण की टेबिल पर हैं मान्यवर आपकी टेबिल पर और मान्यवर पत्रकार दीर्घाओं में, आप किसका संज्ञान लें मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं रिपोर्टर्स दीर्घा, पत्रकार दीर्घा और सदन के प्रत्येक टेबिल पर आप इसकी मान्यवर, गहनता से जांच करा लें। महामहिम राज्यपाल ने आज अपने अभिभाषण का कोई अंश पढ़ा ही नहीं। एक शब्द का सिर्फ उच्चारण किया 'जयहिन्द' और 'जयहिन्द' के अलावा न अपने अभिभाषण का एक शब्द पहला, न एक शब्द आखिरी पढ़ा, न और कुछ अभिभाषण से पढ़ा। इसलिए मान्यवर, जो आज की कार्य सूची में मद संख्या-2 पर अंकित है इसके बारे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा ही नहीं है तो उसका दुबारा पाठ करना उचित नहीं है। इसलिए श्रीमन् मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय तिवारी जी और चौधरी साहब ने भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में कहा कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं सिफ इतना कहना चाहूंगा कि आप महामहिम राज्यपाल जी से तालमेल बनाये रखें इतना लेट न चलें। आप भी समय से चलने की कोशिश करें। राज्यपाल जी समय से आये थे, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है और आपके उनके अच्छे सम्बन्ध भी हैं थोड़ा और तेज

हो जाइए। इस समय तो और आपको तेज होना है जैसी परिस्थितियां हैं। माननीय चौधरी साहब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, अगर वह इस सदन में उपस्थित हुए, पढ़ना चाहें, व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां प्रस्तुत हो जाना ही बहुत होता है। अगर महामहिम राज्यपाल जी ने इसको यहां लाकर प्रस्तुत कर दिया तो प्रस्तुत हो गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह आए लेकिन प्रस्तुत नहीं हुआ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक बार नहीं अनेक बार इस पर आपकी पीठ से निर्णय हो चुका है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी आए और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ा भी, कुछ शब्द लिये और जैसा अभी मा0 चौधरी साहब ने कहा कि अगर एक शब्द या दो शब्द का उच्चारण होता है, उसके बाद ही पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। मान्यवर, उन्होंने सभी मा0 सदस्यों को सम्बोधित किया और बैठने के लिए भी कहा, उसके साथ ही साथ उन्होंने पढ़ा भी, पहला शब्द भी पढ़ा और आखिरी शब्द भी पढ़ा। इसके बावजूद जहां तक मा0 तिवारी जी की बात है, तिवारी जी स्वयं सदन में नहीं थे, मान्यवर, यह घड़ी कहां से देख लिए ? यह उस समय स्वयं नहीं थे, कुछ देर में आए, इन्होंने स्वयं अपनी घड़ी सुस्त कर ली होगी। मान्यवर, जो सदन की घड़ी है, उसके अनुसार ही वह आए और उसके आधार पर काफी देर तक उन्होंने खड़े रहने का भी प्रयास किया, उसके बाद सम्बोधित भी किया जो पढ़ने की कार्यवाही है, वह सम्पादित हुई और जैसा यहां की परम्पराएं रही हैं, जिसको मा0 चौधरी साहब ने उल्लिखित किया है, उसके अनुसार उन्होंने अभिभाषण पढ़ा।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य ज्ञान की बात है, जब किसी गवाह का तीन चौथाई झूठ साबित हो जाए तो उस गवाह पर विश्वास नहीं किया जाता। यहां सदन में बैठे हुए मंत्रि-मण्डलीय सहयोगियों से आप पूछ लीजिए, मैं 10.50 पर आया, ज्यादातर मंत्रियों, सदस्यों से दुआ सलाम हुआ, अब यह अवश्य है कि जब मुख्य मंत्री जी बैठी रहती हैं तो यह इतना डरे रहते हैं कि इनकी जुबान और आंख दोनों बन्द रहती हैं। तो आपने नहीं देखा होगा, यह मैं मानता हूं डर में अच्छे-अच्छों की आंख बन्द हो जाती है। मैं तो सिर्फ आपसे यह कह रहा था कि मेरी बात बिल्कुल सही है, 10 बजकर 57 मिनट पर वह आए हैं, 10 बजकर 59 मिनट पर चले गए हैं, मैं यदि अपने को तेज कर लूं, मान्यवर, तो फिर वह 10.55 पर ही आए हैं तो मुझे थोड़ा धीमे चलने दीजिए। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो आप इस घड़ी को बदलवा दें या फिर से एक बार महामहिम राज्यपाल जी को कल बुलायें, वह 11.00 बजे आयें, अपना अभिभाषण रखें और फिर उनके अभिभाषण के बाद आपको यह अधिकार हो जायेगा कि आप उनके दिए गये अभिभाषण को पढ़कर सुनायें। मुझे तो ऐसा लगता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस अभिभाषण से इतना अधिक दुखी हैं कि वह पढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए मान्यवर, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें दुबारा बुलाया जाना चाहिए, जिससे सदन की परम्परा बनी रहे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही, महामहिम राज्यपाल आए, यह सही है, उन्होंने सदस्यों से बैठने का आग्रह किया, यह सही है, कुछ देर वह खड़े रहे, यह बात सही है और दो मिनट में चले गए, यह बात भी सही है। सिर्फ एक बात जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही है कि उसका एक अंश पढ़ा और प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने का अर्थ है कि रख दिया, यदि आप इसे प्रस्तुतीकरण मानते हैं तो अलग विषय है लेकिन उन्होंने अपने अभिभाषण का एक भी शब्द नहीं पढ़ा है, आप जांच कर लीजिए। आप संसदीय कार्य मंत्री जी को एग्नोर करें, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कोई बात अतिरिक्त साबित करना चाहते हैं तो मान्यवर, उसे थोड़ा नजरन्दाज कर दीजिए और बाकी आप अपने तंत्र से जांच करा लीजिए।

* श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को पढने आए थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कहा कि उन्होंने सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को बताने का काम किया।

श्री लालजी टण्डन-

अध्यक्ष जी, यह न तो राज्यपाल का कर्तव्य है, राज्यपाल का काम यह है कि सरकार के आगामी वर्ष में क्या कार्यक्रम होंगे, क्या नीति अपनाई जायेगी, उसके बारे में जो अभिभाषण होता है, सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, उसको पढ़ते हैं। उपलब्धियों से मतलब उन्हें कोई नहीं है। अगर यह उपलब्धियां हैं तो यह राज्यपाल का अभिभाषण है ही नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कुतुबमीनार वाला उल्लेख करते हुए मान्यवर .....

श्री अध्यक्ष-

नहीं कुतुबमीनार का क्या उल्लेख करें ? आप अपनी घड़ी के बारे में बहुत उत्साही रहे हैं। माननीय तिवारी जी, घड़ी के बारे में इतना समय भी ले लिया और चौधरी साहब ने भी व्यवस्था उठायी कि पढ़ा नहीं गया था। जैसे यह अपनी घड़ी से आये हैं इन्हीं की तरह एक आदमी कुतुबमीनार देखने गया था और हाथ से उसकी घड़ी नीचे गिर गयी। वह नीचे आकर इंतजार कर रहा था। वह एक घण्टे तक देखता रहा। बगल वाले ने कहा कि आप एक घण्टे से ऊपर क्या देख रहे हैं तो उसने कहा कि हमारी घड़ी हाथ से छूट गयी वही देख रहा हूं तो बगल वाले ने कहा कि वह घड़ी तो बहुत पहले आ गयी होगी तो उसने कहा कि नहीं वह घड़ी एक घण्टा लेट है। तो वही हाल हमारे तिवारी जी का है। (हंसी)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, मैं महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ रहा हूं-माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2009 के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के प्रथम सत्र .....।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(एक साथ कई सदस्यों के द्वारा यह अनुरोध करने पर कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।)

ठीक है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाता है।

[के लिये आहूत इस अधिवेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं तथा आप सबको तथा प्रदेश की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी हार्दिक कामना है कि नया वर्ष 2009 आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिये सुख, समृद्धि और सम्पन्नता से परिपूर्ण हो।

आप सभी अवगत हैं कि विधान परिषद् के हमारे माननीय सदस्य श्री राम शरण दास व विधान सभा की माननीय सदस्या श्रीमती अर्चना सरोज अब हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

आप भली-भांति जानते हैं कि मेरी सरकार गरीबों, कृषकों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं समाज के दबे-कुचले वर्गों के उत्थान के लिये कृत संकल्प है। 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों की समता के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संरक्षण, जल संसाधन, सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वनीकरण एवं उद्यानीकरण आदि कार्य कराकर 31.16 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। किसान एवं विशेषकर निर्बल वर्ग के किसानों की उन्नति हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये।

किसानों को उत्तम किस्म के उर्वरक एवं बीज मुहैया कराया गया। किसानों की उपज को उचित मूल्य पर खरीद कर उनकी खुशहाली का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में 1330.90 करोड़ एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में रु0 314.52 करोड़ वितरित किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 82.28 करोड़ अधिक है। कृषकों को 27.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक एवं 677.52 हजार कुन्तल बीज वितरित किये गये। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 5.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 3.07 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी जो गत वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है।

पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। पूर्व दशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार दूर करने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुंचाने हेतु छात्रवृत्ति प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रवृत्ति का वितरण एक बैंक (एस0बी0आई0) के माध्यम से सभी जिलों को आनलाइन अन्तरित किया जा रहा है।

समाज के निराश्रित विकलांगजनों के भरण-पोषण एवं उनके पुनर्वासन के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। विकलांगजनों को दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन में सहायता, विकलांग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों के सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार आदि की व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विकलांग बंधुओं को अब दो प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। बहुउद्देशीय परिचय-पत्र बनवाने हेतु ली जा रही दो रुपये प्रति लाभार्थी फीस को समाप्त कर अब निःशुल्क परिचय-पत्र वितरण किया जा रहा है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत दी जा रही अनुदान राशि में वृद्धि कर दी गयी है।

विकलांगजनों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने पहली बार लखनऊ में डा0 शकुन्तला मिश्रा, उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया हैं इस विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत सीटें विकलांग छात्र-छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं।

मानवतावादी, समतामूलक समाज की स्थापना करना सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य है। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने हेतु कानून का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जा रहा है। मेरी सरकार का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाना है, ताकि समाज के निर्धन वर्ग के लोग, समाज के दबे-कुचले लोग तथा पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और इन वर्गों का सम्यक् विकास हो सके।

गृह (पुलिस) विभाग

प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराध एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया है। नई सरकार के गठन के बाद से प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत प्रभावी कार्यवाही की गयी है। अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना प्रभावशाली या ऊंची पहुंच वाला क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र का माहौल पूरी तरह बना हुआ है। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई जातिगत अथवा क्षेत्रीय तनाव या माओवादी अथवा आतंकवादी घटना नहीं घटित हुई है। प्रदेश की चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था तथा अपराधों का घटना ग्राफ स्वतः इसकी पुष्टि करते हैं। वर्ष 2007 में वर्ष 2006 की तुलना में अपराधों में भारी कमी आई थी। वर्ष 2008 में वर्ष 2007 की तुलना में अपराधों में और भी कमी आई है।

आज की चुनौतियों से निपटने के लिये पुलिस बल को सुदृढ़ करने के भी कई कदम उठाये गये हैं। प्रदेश के सभी थानों का उच्चीकरण करते हुए उनका प्रभार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है। थानों में पुलिस बल की कमी को देखते हुए सभी शहरी तथा ग्रामीण थानों के तैनाती में बढ़ोत्तरी की गई है। एन0सी0आर0, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और भारत-नेपाल सीमा से सटे जनपदों के पुलिस बल में भी समुचित वृद्धि की गई है।

एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत पुलिस बल में दो लाख चार हजार से भी अधिक नये पद सृजित किये गये हैं। इन नये पदों के सृजन के साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस-जनसंख्या अनुपात 83 से बढ़कर 150 से ऊपर हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।

दो-तीन साल पहले हुई पुलिस भर्ती में गड़बड़ियों को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की भर्ती के लिये एक पारदर्शी व्यवस्था भी लागू की गयी है। अभी तक पुलिस बल के किसी भी संवर्ग (अराजपत्रित) के लिये कोई सेवा नियमावली नहीं बनी थी और न ही भर्ती की कोई पारदर्शी व्यवस्था निर्धारित थी। पहली बार पुलिस बल (अराजपत्रित) के विभिन्न संवर्गों के लिये सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है।

प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। फिदायिन हमलों जैसी घटनाओं से निपटने के लिये एन0सी0जी0 कमाण्डो की तर्ज पर दो हजार कमाण्डों बल भी तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये उत्तर प्रदेश में एक कमाण्डों ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया जायेगा। रिटायर्ड सैनिकों की चार वाहनियों का गठन करने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/भवनों आदि की पहचान कर ली गई है और उनकी सुरक्षा योजना भी तैयार करा ली गई है। सुरक्षा योजना के अनुसार इन संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराई जा रही है। भीड़-भाड़ वाले निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे कि होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, आदि में भी सुरक्षा के चुस्त-दुरुस्त इन्तजाम कराये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना 2008-09 के लिये रु0 120.00 करोड़ की योजना-प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें केन्द्रांश रु0 90.00 करोड़ (75 प्रतिशत) एवं राज्यांश रु0 30.00 करोड़ (25 प्रतिशत) है। उक्त धनराशि पुलिस कार्मिकों के आवास, पुलिस थानों, उपकरणों/अस्त्र-शस्त्र, वाहन एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उन्नयन आदि पर व्यय की जायेगी।

नक्सलियों/आतंकवादियों द्वारा की जा रही घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश की सशस्त्र पुलिस तथा कमाण्डों बल को आधुनिकतम शस्त्र, कारतूस, संचार उपकरणों, सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रु0 555.00 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार, गृह मंत्रालय को धनावंटन हेतु भेजा गया हैं

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का मुख्य उद्देश्य बन्दियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनका व्यक्तित्व परिमार्जन तथा सामाजिक पुनर्वासन करना है।

कारागारों में बन्दियों की भीड़-भाड़ की अत्यन्त गम्भीर समस्या के दृष्टिगत कतिपय निर्णय लिये गये हैं। इनके अन्तर्गत घनी आबादी के मध्य आ गये 12 कारागारों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया हैं जिला कारागार, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, मुजफ्फरनगर तथा आजमगढ़ हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी हैं भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रतिकर की 20 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। जिला कारागार, लखनऊ, आदर्श

कारागार लखनऊ एवं नारी बन्दी निकेतन के नये परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष कारागारों हेतु भूमि चयन का कार्य प्रगति पर है।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2008 में प्रदेश की कारागारों में विरुद्ध 27832 बन्दियों को शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त कारागारों में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों यथा, आर्ट आफ लिविंग, योग, आध्यात्मिक प्रवचन, भजन आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

गृह (राजनीतिक पेंशन) विभाग

राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के आश्रितों को वर्तमान में रु0 5441/- की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अन्तिम संस्कार हेतु उनके आश्रितों को रु0 5000.00 का शासकीय अनुदान अनुमन्य है।

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवासीय एवं भोजन की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ तथा मथुरा में एक-एक सेवा सदन स्थापित है।

नगारिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमों/दायित्वों के कार्यान्वयन हेतु 12 प्रकार की सेवायें गठित हैं, जिनमें लगभग 1,10,000 स्वयं सेवक तथा 516 वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी हैं, और उनमें समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है।

होमगार्ड विभाग

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्त पर स्थापित है। अपने गठनकाल से ही यह विभाग निरन्तर प्रशिक्षित तथा अनुशासित समाज के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रयासरत है।

शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थाओं में सुरक्षात्मक कार्यों हेतु भुगतान के बदले 3000 होमगार्ड्स सुरक्षा ड्यूटियों में तैनात किये गये। प्रशिक्षण के दौरान घायल स्वयं सेवकों को रुपये 6,75,298/- की सहायता राशि प्राप्त करायी गयी। लगभग 15357 स्वयं सेवकों को अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान कराने के साथ 8267 स्वयं सेवकों को शस्त्र विद्या में दक्षता प्रदान करायी गयी तथा 105 अवैतनिक अधिकारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया। होमगार्ड्स के पारिश्रमिक भत्ते को रु0 100/- से बढ़कर रु0 126/- किया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग

प्रदेश के 56516 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य अभियान के रूप में कराया जा रहा है।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु वर्ष 2008-2009 में मानक के अनुसार असेवित ग्रामों में 3033 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 4398 नवी उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं छात्र/छात्राओं के समुचित बैठने की व्यवस्था हेतु 17310 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत किये गये हैं।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिये कक्षा 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा हेतु 437 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं, जिनमें लगभग 30 हजार बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 170 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये हैं।

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत एवं भोजन ग्रहण कर रहे लगभग 1.79 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु 88 हजार स्नातक प्रशिक्षित (बी0एड0, एल0टी0, डी0पी0एड0, सी0पी0एड0, बी0पी0एड0) अभ्यर्थियों का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। साथ ही बी0टी0सी0-2004 के 9,900 अभ्यर्थियों को दो वर्षीय प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारम्भ है।

उर्दू प्रवीणताधारी 5,783 अभ्यर्थियों का दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा 5,000 रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चल रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

समस्त हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सह-शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। शासन द्वारा शैक्षिक सुविधाओं में विस्तार को ध्यान में रखते हुए 156 अनानुदानित संस्कृत विद्यालयों को अनुदानित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका शासनादेश भी निर्गत किया जा चुका है। 240 राजकीय हाईस्कूलों (बालक/बालिका) को वर्ष 2008-09 में इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया है। 22 जनपदों के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल 58 विकास खण्ड में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 2500 माध्यमिक विद्यालयों में आई0सी0टी0 योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान करने के लिये कार्यवाही प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से सवित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना शुरू की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008 में हाई-स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थागत छात्रा के रूप में कक्षा 11 में पढ़ने वाली निर्धन परिवार की बालिकाओं को एकमुश्त 15 हजार रूपये तथा आवागमन के लिये एक साइकिल दी जायेगी। इस योजना के तहत अगले वर्ष कक्षा 12 में पहुंचने पर इन सभी छात्राओं को 10 हजार रुपये की दूसरी किश्त भी दी जायेगी ।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग के प्रसार एवं इसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में 13 राज्य विश्वविद्यालय, 136 राजकीय महाविद्यालय, 331 राज्य अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय एवं 1700 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय स्थापित हैं। उच्च शिक्षा विभाग के उन्नयन हेतु प्रदेश के 8 मण्डलों में उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं।

निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में महिला महाविद्यालय खोले जाने के लिये 30 लाख से 40 लाख का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों की 404 महाविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनापत्ति तथा 830 महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुतियां स्वीकृत की गयी हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

कुशल प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु 69 राजकीय, 19 अनुदानित तथा 48 निजी क्षेत्र की संस्थाओं में कुल 24480 प्रवेश क्षमता के साथ प्रशिक्षण संचालित है। नक्सल प्रभावित जनपद मिर्जापुर के राजगढ़ तथा जनपद सोनभद्र के चोपन में पालीटेक्निक की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 12 पालीटेक्निक विहीन जनपदों में भी एक-एक पालीटेक्निक की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विकलांगजनों को तकनीकी जनशक्ति की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से "स्कीम फार इण्टीग्रेटिंग पर्सन्स विद डिस्एबिलिटीज इनदि मेनस्टीय आफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन" के अन्तर्गत जनपद झांसी एवं मुरादाबाद में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 88 राजकीय संस्थाओं में से 3265 प्रवेश क्षमता की कुल 18 महिला पालीटेक्निक महिलाओं के लिये प्रशिक्षण संचालित हैं, जिनमें 20 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की सामान्य योजनाओं के लिये रु0 7292.81 लाख एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु0 10128.01 लाख का प्राविधान किया गया है। प्रदेश के विकास हेतु अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य से पी0पी0पी0 माडल योजना के अन्तर्गत 08 इंजीनियरिंग कालेज, 50 पालीटेक्निक तथा 250 आई0टी0आई0 संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। आई0आई0टी0 स्तर का और एक आई0आई0एस0सी0 स्तर का विद्यालय भी पी0पी0पी0 माडल पर खोला जाना प्रस्तावित है।

कृषि विभाग

कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008-09 में खाद्यान्न उत्पादन के लिये 497.07 लाख मै0 टन और तिलहन के लिये 12.11 लाख मै0 टन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इन लक्ष्यों के सापेक्ष खरीफ में खाद्यान्न 172.33 लाख मै0 टन एवं रबी में 324.74 लाख मै0 टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। वर्ष 2008-09 में खरीफ का आच्छादन 93.10 लाख हे0 हुआ एवं रबी में 122.28 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादित करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 08 तक 120.00 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादित हुआ, जो लक्ष्य का 98.13 प्रतिशत है।

खरीफ 2008 में विभिन्न उर्वरकों के वितरण का लक्ष्य 35.00 लाख मै0 टन था, जिसके सापेक्ष उर्वरक उपलब्धता 38.42 लाख मै0 टन एवं वितरण 29.98 लाख मै0 टन किया गया।

प्रदेश में पहली बार एग्रो क्लाईमेटिक जोन वार खरीफ एवं रबी में पांच **दिवसीय किसान मेलों** का आयोजन किया गया। खरीफ में 08 मई, 2008 से 07 जून, 2008 तक सात स्थानों पर इन मेलों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार रबी में 25 सितम्बर से 24 अक्टूबर तक नौ स्थानों पर इन मेलों का आयोजन किया गया।

नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुंचाने हेतु सामयिक कृषि संसाधन व्यवस्था के साथ-साथ **कृषि उन्नयन पखवारे** का आयोजन मण्डल, जनपद, विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में किया गया। वर्ष 2008-09 में खरीफ एवं रबी से पूर्व **"अपनी मिट्टी पहचानो"** नाम से सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत 19.07 लाख मृदा नमूने एकत्रित कर प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गये एवं विश्लेषणोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से संस्तुतियां कृषकों को उपलब्ध करायी गयीं।

कृषि की सम-सामयिक समस्याओं के निदान एवं तकनीकी ज्ञान वृद्धि हेतु मासिक बुलेटिन **"कृषि चिन्तन"** का प्रकाशन किया जा रहा है। कृषकों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु निःशुल्क किसान काल सेन्टर चलाये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वित्तीय वर्ष 2007-08 से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 53 जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गेहूं में 38 जनपद, धान में 26 जनपद एवं दलहन में 19 जनपदों का चयन किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर धान में 100 लाख मी0 टन, गेहूं 80 मी0 टन एवं दलहनी फसलों में 20 लाख मी0 टन उत्पादन में वृद्धि करना है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं संचयित जल का सिंचाई हेतु सही उपयोग की योजना चलायी जा रही है, जिससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल सके। योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई सुविधा लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को शत-प्रतिशत शासकीय अनुदान पर तथा अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों एवं आलू उत्पादकों के हित में कई एतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू उत्पादकों को अब और अधिक क्रय मूल्य का भुगतान किया जायेगा। आलू के विपणन और निर्यात पर भी अनुदान का फैसला किया गया है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू उत्पादकों को दिये जा रहे मूल्य में इजाफा करना, सरकार द्वारा परिवहन भाड़ा दिया जाना तथा आलू के विपणन और आलू के निर्यात पर अनुदान के फैसले भी शामिल हैं। आलू का क्रय मूल्य 250 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। देश के बाहर आलू के निर्यात पर इस वर्ष भी अनुदान जारी रखा जायेगा और आलू निर्यात हेतु भंडारीकरण अनुदान सहायता योजना भी इस वर्ष लागू रहेगी। अब प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु निजी क्षेत्र को भी अनुदान दिया जायेगा।

कृषि विविधीकरण परियोजना

विश्व-बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा परियोजना के अत्यन्त सफल एवं प्रभावी परिणामों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रदेश के शेष 38 जनपदों में क्रियान्वयन हेतु कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण की परिकल्पना एवं संरचना की गयी है।

कृषि तकनीकी प्रसार को स्थायित्व प्रदान करने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 4800 किसान विद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन हेतु दुग्ध समिति स्तर पर 'बल्क मिल्क कूलर्स' की स्थापना एवं दुग्ध उत्पादकों को समन्वित विपणन की स्वतंत्रता हेतु नई पीढ़ी सहकारी संस्थाओं की स्थापना प्रस्तावित है। दुग्ध उपार्जन में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के मध्य क्षेत्र में राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद् द्वारा दुग्ध पाउडर प्लान्ट की स्थापना प्रस्तावित है।

कृषकों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पान उत्पादन, बकरी पालन, कुक्कुट विकास, सुअर पालन एवं दुग्ध उत्पादन के द्वारा आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराये जायेंगे। मत्स्य विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एकत्रित मत्स्य पालन, झींगा पालन एवं तालाबों तथा झीलों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।

कृषि शिक्षा विभाग

प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में आ रहे ठहराव के दृष्टिगत कृषि शिक्षा के शोध एवं प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये बजट में रु0 177.71 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि की उन्नत तकनीकों का विकास किया गया है। किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा दी जा रही है।

दुग्ध विकास विभाग

गांव स्तर पर दुग्ध विक्रय की उचित व्यवस्था, दुग्ध की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु 1153 आटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट एवं 115 ब्लक मिल्क कूलर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिये 'गोकुल पुरस्कार योजना' चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत कुल 59 दुग्ध उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये नकद व शील्ड प्रदान की जाती है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

औद्यानिक फसलों यथा-फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सगन्ध फसलें, मशरूम एवं शहद के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनायें हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश आलू व शाकभाजी के क्षेत्र में प्रथम तथा फल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। औद्यानिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न फसलों के नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 27874 हेक्टेयर में उद्यान रोपण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 18607 हेक्टेयर में उद्यान रोपण कराया जा चुका है।

पशुपालन विभाग

पशुपालन गरीब ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। उन्नत प्रजनन, पशुरोग नियंत्रण, उन्नत पशुपोषण तथा आधुनिक पशुपालन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पैरावेट प्रशिक्षित कर कार्य पर लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2008-09 में 1749 पैरावेट को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 12 जनपदों में उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद् द्वारा पशुधन बीमा योजना संचालित की जा रही है। परिषद् द्वारा पशुओं का आनुवांशिक विकास तथा स्वदेशी प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में गन्ने की वर्तमान गन्ना उत्पादकता 56.44 टन प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 70 टन प्रति हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर द्वारा अधिक चीनी परता एवं उत्पादन देने वाली तीन नई प्रजातियां क्रमशः को0से0 032324 (अगेती), को0शा0 98259 (मध्यदेर) तथा को0से0 01424 (मध्यदेर) विकसित कर सामान्य खेती के लिये किसानों को अवमुक्त की गई। इस वर्ष कुल 132 चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य हो रहा है। गन्ने पर आधारित अन्य उद्योग, जैसे सह विद्युत उत्पादन, पावर अल्कोहल तथा जैविक खाद उत्पादन के लिये 'शुगर काम्प्लेक्स' को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है।

मत्स्य विभाग

मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है। मछली पालन, रोजी रोटी का एक सरल साधन है। वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2008 तक 10,000 हे0 तालाबों के सुधार/निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 6472 हे0 तालाबों का सुधार/निर्माण, 5484 मत्स्य पालकों को अल्पकालीन तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मछुआ समुदाय के 1,02,000 सदस्यों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित दुर्घटना बीमा से आच्छादित किया गया। आश्रयविहीन 1100 मछुआरों

को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सहकारी समितियों को आवंटित 390 हे0 जल क्षेत्र, 80 हे0 जल प्लावित क्षेत्र का विकास किया गया। इसके साथ ही मत्स्य पालकों के तकनीकी क्षमता विकास हेतु गोमतीनगर (चिनहट) में एक राज्यस्तरीय मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

रेशम विभाग

प्रदेश के 52 जनपदों के चयनित विकास खण्डों में रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती, रेशम कीटपालन, धागाकरण, बुनाई आदि के क्रिया-कलाप प्रमुख घटक हैं।

रेशम विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में 238.75 मै0टन शहतूत रेशम कोया, 41.61 लाख टसर कोया एवं 6960 कि0ग्रा0 अरण्डी रेशम कोयों का उत्पादन 8626 कोया उत्पादकों के माध्यम से कराया गया, जिसमें 4999 एस0सी0/एस0टी0 एवं 4474 महिला लाभार्थियों की सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 24253 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सुलभ कराया गया है।

सिंचाई विभाग

वर्तमान में प्रदेश में 73637 कि0मी0 नहरों, 27600 राजकीय नलकूपों, 243 लघु डाल नहरों, 28 वृहद् एवं मध्यम पम्प नहरों एवं 67 जलाशय पोषित प्रणालियों से लगभग 120.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित है।

पूर्व सृजित सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित कर उसका पूर्ण उपयोग किये जाने हेतु वर्ष 2008-09 में 06 पुरानी नहर प्रणालियों की क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति में है। नहरों के रिसाव को नियंत्रित करने एवं जल के इष्टतम उपयोग हेतु नहरों की लाइनिंग की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है।

लघु सिंचाई विभाग

तकनीकी मार्ग दर्शन तथा अनुदान की सुविधा देकर कृषकों के लघु सिंचाई के कार्य कराये जाते हैं। विभाग की मुख्य योजना निःशुल्क बोरिंग/पम्प सेट की है। प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में, जहां उथले नलकूप का निर्माण सम्भव नहीं है, गहरे नलकूप निर्माण की योजना भी चलाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत हैवी रिग मशीन द्वारा निर्मित नलकूप पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1.00 लाख अनुदान देय है। निःशुल्क बोरिंग व पम्पसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः रु0 3000/- एवं रु0 4000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को रु0 6000/-का अनुदान बोरिंग निर्माण पर देय है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में 258807 निःशुल्क बोरिंग की गईं तथा निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 3023 गहरी बोरिंग, 4662 मध्यम गहराई की बोरिंग, 119 रिचार्जिंग/चैकडैम एवं अन्य निजी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 4.94 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

भू-गर्भ जल विभाग

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश में भू-जल के नियोजित विकास एवं प्रबन्धन हेतु वर्षा जल संचयन, भूजल सम्पदा की उपलब्धता व गुणवत्ता का आकलन तथा भू-जल से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन हेतु अनुसंधानात्मक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क पर जल स्तर मापन के निर्धारित लक्ष्य 39828 तथा 7014 के सापेक्ष क्रमशः 31638 तथा 5924 जल स्तर माप लिये गये। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पीजोमीटर स्थापना के निर्धारित लक्ष्य 1590 तथा 550 के सापेक्ष क्रमशः 849 तथा 242 पीजोमीटर स्थापित किये गये।

सहकारिता विभाग

सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमुखतः निर्बल वर्ग के समिति सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण, दीर्घकालीन फसली ऋण, उर्वरक एवं बीज आदि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2008-09 में कृषकों को रु0 1370.90 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण व रु0 314.52 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2008-09 में किसानों को 27.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक एवं 677.52 हजार कुन्तल बीज वितरित किया जा चुका है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 5.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 3.07 लाख मीट्रिक टन धान की धरीद की जा चुकी है।

वर्ष 2008-09 में पहली बार प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मा0 कांशीराम सहकारी योजना का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को 255 पुरस्कार दिये गये हैं।

ऊर्जा

उ0प्र0 राज्य में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 सरकार विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिये हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके। वर्ष 2012 के अन्त तक राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त उपक्रम के सहयोग से प्रदेश में लगभग दस हजार मेगावाट क्षमता की नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। राज्य क्षेत्र में पारीक्षा विस्तार (500 मे0वा0), हरदुआगंज विस्तार (500 मे0वा0), ओबरा विस्तार (1000 मे0वा0) एवं अनपरा-डी (1000 मे0 वा0) की तापीय विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील में 1980 मे0वा0 एवं करछना में 1320 मे0वा0 क्षमता की तापीय परियोजनायें निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वर्तमान में औसत राजस्व वसूली लगभग 90 प्रतिशत है। जिसमें आगे सुधार के लिये शहरी क्षेत्रों में इनपुट आधारित विद्युत फ्रैन्चाइजी योजना आरम्भ की जा रही है। आशा है कि अधिक हानि वाले शहरों में इस योजना को लागू करने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सकेगी तथा निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

परम्परागत ऊर्जा स्रोत की सीमाओं को देखते हुए शासन द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में सोलर वाटर हीटर के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिये निजी उपयोगकर्ता के लिये घरेलू सोलर वाटर हीटर पर अनुदान की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है।

कैनाल फाल से विद्युत उत्पादन की सम्भावना को देखते हुए माइक्रोहाईडिल नीति भी अनुमोदित की गई है, जिसमें नहरों पर छोटे विद्युत उत्पादन संयंत्रों को लगाया जा सकें।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2008-09 में 11 जिला/संयुक्त चिकित्सालय मुख्य भवन निर्मित कर कार्यशील किये गये। 89 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये एवं 139 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण पूर्ण कराया गया।

वर्ष 2008-09 में कुल रु0 363.85 करोड़ की धनराशि से 5020 उपकेन्द्रों के भवन निर्माण स्वीकृत किये गये और वर्ष 2009-10 में भी 1765 नये उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा।

चिकित्सकों/परा चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये 434 चिकित्सक, 542 लैब टेक्नीशियन एवं 79 एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 617 चिकित्सकों एवं 3148 स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 को संविदा पर रखा गया। 600 से अधिक विकास खण्ड स्तरीय इकाइयां 24 घंटे सेवायें उपलब्ध करा रही हैं। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 13 लाख से अधिक महिलाओं के लाभान्वित होने की सम्भावना है।

वर्ष 2008-09 में बी0पी0एल0 परिवारों हेतु सौभाग्यवती योजना के अन्तर्गत 133 निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी गई। गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं को अस्पताल भेजने हेतु संजीवनी परिवहन योजना प्रारम्भ की गई तथा स्कूली छात्रों एवं किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आर्शीवाद स्कूल हेल्थ कार्यक्रम एवं सलोनी स्वास्थ्य योजना प्रारम्भ की गई। ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था की गई है। 27 जनपदों में 2.72 करोड़ बच्चों का टीकाकरण कराया जा चुका है। डेंगू रोग के निदान हेतु 7 जनपदों में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में यूनिट को क्रियाशील कर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों तथा संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष 2.50 लाख अन्तः रोगी तथा बाह्य रोगी एवं विभाग में लगभग 30 लाख रोगियों का चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ तथा बांदा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (जालौन), कन्नौज तथा पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अम्बेडकरनगर व सहारनपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना निर्माणाधीन है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ की स्थापना वर्ष 2006 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में सुपर स्पेशिलिटी उपचार के भार को कम करने हेतु की गई। संस्थान में वाह्य रोगी विभाग में उपचार की व्यवस्था है। संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्रियां भी प्रदान की जायेंगी। एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में कई अतिविशिष्ट विभागों द्वारा इस केन्द्र के साथ मिलकर चिकित्सा शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस केन्द्र को उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त अनुदान की सहायता से विश्वस्तरीय सुविधाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के 22 जनपदों में क्षेत्रीय/यूनानी कार्यालय नहीं हैं, उन 11 जनपदों में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी कार्यालयों की स्थापना की गई है। शेष 11 जनपदों में भी स्थापना का प्रस्ताव है। प्रदेश में 160 नये राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानकों के अनुरूप प्रथम चरण में प्रदेश में तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों, लखनऊ, इलाहाबाद एवं कानपुर का निर्माण अन्तिम चरण में है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। उद्योग बन्धु प्रदेश में औद्योगिक, अवस्थापकीय एवं सेवा क्षेत्र में पूंजी विनियोजन तथा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु उ0प्र0 शासन की नोडल संस्था के रूप में कार्य करती है। उद्योगों द्वारा विभिन्न विभागों से अनुमोदन, अनापत्तियां, स्वीकृतियां आदि जारी करने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा बेव इनेबिल्ड एकल मेज व्यवस्था का संचालन कराया जाता है। उद्यमी और राज्य सरकार के बीच उद्योग बन्धु एक कड़ी का कार्य करती है।

सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ताज एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण तथा अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान समय में नोएडा से आगरा तक "यमुना (ताज) एक्सप्रेस-वे" परियोजना हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही अधिकांशतः पूर्ण कर ली गई है तथा गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये भूमि अर्जन/अनुग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों के बढ़ावा हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो उद्योगों की स्थापना हेतु भू-खण्डों के साथ वृहत्तर अवस्थापना सुविधायें भी अपने क्षेत्र में उपलब्ध करा रहा है और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा में विश्वस्तरीय गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में प्रथम शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2008 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रबन्ध बोर्ड एवं वित्त समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी एक-एक बैठकें भी सम्पन्न हो चुकी हैं।

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत मेधावी छात्रों को यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान की जायेगी।

नोएडा की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए नोएडा तथा दिल्ली के मध्य मेट्रो रेल की स्थापना हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। मेट्रो रेल पर आने वाला व्यय का 85 प्रतिशत नोएडा तथा 15 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

मुद्रणालयों के मुद्रण कार्यों में गतिशीलता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नोलाजी एवं साज-सज्जा से युक्त करने हेतु राजकीय मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 73 लघु औद्योगिक इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 100 लघु औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी उन्नयन एवं सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 2008 तक 23,461 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हुई है, जिनमें रु0 1360.75 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ तथा 1,27,235 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में 07 वृहत औद्योगिक आस्थाओं में सड़क आदि के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों की कार्य कुशलता तथा उनकी दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य दक्षता पुरस्कार पाने वाले शिल्पी, जिनकी आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें रु0 1000.00 प्रति माह पेंशनर देने के उद्देश्य से हस्तशिल्पी पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत अब तक 90 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन स्वीकृत की गई है, ताकि प्रदेश में हस्तशिल्पियों को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्ष 2008-09 में लघु उद्योग क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,30,000 नये रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2008 तक 1,27,235 व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग

हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रित कुटीर उद्योग है। बुनकरों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हथकरघा विकास योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में क्लस्टर की स्थापना कर बुनकरों को समस्त प्रकार के लाभ दिये जायेंगे।

बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड की सहायता से हेल्थ इन्श्योरेंस योजना लागू की गई है।

खादी ग्रामोद्योग विभाग

वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 2008 तक 3652 इकाइयों की स्थापना से 32,964 व्यक्तियों एवं महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2008-09 में 2942 इकाइयों की स्थापना से 29.421 व्यक्तियों, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु रु0 35.30 करोड़ की मार्जिन मनी योजना में धनराशि का आवंटन हुआ है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

श्रम विभाग सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच प्रभावी सामन्जस्य स्थापित कर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने और श्रमिक हितों के संरक्षण का कार्य कर रहा है।

प्रदेश में कुल 3,107 बाल श्रमिक चिन्हांकित किये गये, जिनमें से 2416 खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में से 691 गैर खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हित हुए हैं।

प्रदेश के 44 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित कुल 1866 विशेष बाल विद्यालयों में लगभग 83,108 बच्चे शिक्षारत हैं। इन विद्यालयों से विगत वर्षों में 58,118 बाल श्रमिक कक्षा-5 उत्तीर्ण कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े गये हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एवं सभी 300 परगनों में से 299 परगना स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन/पुनर्गठन कराया गया है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजिकाओं में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक 33,78,566 अभ्यर्थी बेरोजगार के रूप में उपलब्ध थे तथा 4430 बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से सवेतन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

भूमि सुधार विभाग

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-12 ख(4) (च) अधीन अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को गांव सभा की भूमि पर 13 मई, 2007 के पूर्व से काबिज पाये जाने की दशा में दिनांक 30-11-08 तक 2190.391 हे0 भूमि पर 9776 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जिन परिवारों के मकान 13 मई, 2008 तक ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित थे ऐसी भूमि उन्हीं व्यक्तियों को, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-123 (1) के अन्तर्गत व्यवस्थित किये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत दिनांक 13 मई, 2007 से 30-11-08 तक 10279 व्यक्तियों को विनियमित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 268 एकड़ भूमि का आवंटन 473 आवंटियों को किया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति के 353 आवंटियों को 199 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। उत्तर

प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संशोधन कर वसीयतनामा का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

परती भूमि विकास विभाग

परती भूमि विकास विभाग द्वारा प्रदेश की अपघटित एवं अकृष्य भूमि को कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिये प्रदेश सरकार के उपक्रम उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के माध्यम से ऊसर बाहुल्य जनपदों में ऊसर सुधार की परियोजनाओं का संचालन कराया जाता है। नवीन परियोजना यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-तृतीय का कान्सेप्ट पेपर एवं प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक के विचारार्थ प्रेषित किया गया। प्रथम चरण में परियोजना के सफल संचालन हेतु ऊसर सुधार का लक्ष्य 1.20 लाख तथा बीहड़ सुधार का लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया। प्रारम्भिक आंकलन के अनुसार ऊसर सुधार कार्यक्रम में लगभग 3.50 लाख से 4.00 लाख कृषकों के लाभान्वित होने के अनुमान है, जिनमें 33 प्रतिशत कृषक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तथा 47 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों को समता के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु 93 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

संस्थागत वित्त विभाग

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय संसाधन जुटाने का कार्य संस्थागत वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा कम्पनियों के माध्यम से राज्य की गरीब जनता हेतु विभिन्न सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन और समन्वय का कार्य किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर प्रदेश के राजस्व संग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभाग का महत्वपूर्ण कार्य राजस्व संग्रह के साथ-साथ करापवंचन पर प्रभावी रोकथाम किया जाना है। विभाग के व्यापारियों की अकस्मात् मृत्यु पर व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू है।

विभाग में पूर्ण कम्प्यूटरीकृत पंजीयन प्रकोष्ठ में दिनांक 04-11-08 से तत्काल पंजीयन दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। व्यापारियों को आन लाइन रिटर्न तथा आन लाइन पेमेन्ट की सुविधा प्रदान की गई है।

कर एवं रिटर्न देने वाले व्यापारियों की विक्रय धन सीमा रु0 10.00 लाख से बढ़ाकर रु0 1 करोड़ किया गया। दैनिक उपभोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण 363 वस्तुओं पर वैट की दरों में कमी की गयी।

व्यापारियों की मांग पर कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए एनुअल रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2009 तक कर दी गयी है।

नियोजन विभाग

वर्ष 2006-07 में राज्य में राज्य की विकास दर 7.2 प्रतिशत आंकलित हुई। वर्ष 2007-2008 में देश की विकास पर 9.00 प्रतिशत आंकलित हुई, जब कि प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत आंकलित हुई है। वर्ष 2007-08 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 26. 4 प्रतिशत, सेकेण्डरी सेक्टर का योगदान 26.7 प्रतिशत एवं टरश्यरी सेक्टर का योगदान 44.9 प्रतिशत रहा। वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना का आकार रु0 25000 करोड़ निर्धारित हुआ। वर्ष 2008-09 के लिये प्रदेश की योजना का आकार रु0 35000 करोड़ निर्धारित हुआ है, जो पिछले वर्ष 2007-08 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य स्तर/मण्डल पर होने वाली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिये यह विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। पूर्व की भांति विकास विभागों द्वारा कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की अनुश्रवण की कार्यवाही की जाती रहेगी।

ग्राम्य विकास विभाग-

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 08 तक श्रमिकों की रोजगार की मांग के आधार पर 12.93 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा चुका है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को स्वतः रोजगार में स्थापित करने हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। 2008-2009 में इस योजना के माध्यम से 3.50 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 08 तक 2.48 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार में स्थापित किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गयी है। केन्द्र पुरोनिधानित इंदिरा आवास योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महामाया आवास योजना, महामाया सर्वजन आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 3.60 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 08 तक 2.56 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु 1,50,000 नये हैण्डपम्प एवं 90,000 रि-बोर हैण्ड पम्पों का कार्य प्रस्तावित है।

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित 1889 ग्राम सभाओं में से 1815 ग्राम सभाओं को (सी0सी0 रोड व पक्की नाली निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त) समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है तथा 74 ग्राम सभाओं को संतृप्त किया जाना शेष है। सी0सी0 रोड व पक्की नाली निर्माण कार्यक्रम में कार्य 15 सितम्बर, 08 से प्रारम्भ किया गया है। सी0सी0 रोड व पक्की नाली निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2007-08 की अवशेष 604 तथा वर्ष 2008-09 की 3712 ग्राम सभाओं, कुल 4316 ग्राम सभाओं में से एक तिहाई ग्राम सभाओं अर्थात् 1438 ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड व पक्की नाली का निर्माण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजनान्तर्गत द्वितीय चरण हेतु चयनित 3712 ग्राम सभाओं में से 12 ग्राम सभाओं को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में चयनित ग्राम सभाओं की कार्य योजना बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। ग्राम सभाओं के चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

कुल चिन्हित 731 ग्रामों के सापेक्ष 447 ग्रामों को समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है तथा अवशेष 284 ग्रामों को संतृप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

वित्तीय वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 2008 तक सामान्य योजना के अन्तर्गत विभाग ने कुल निर्धारित लक्ष्य रु0 520.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 603.11 करोड़ व्यय करते हुए 580 भवनों, 1165 पुलियों एवं 7160.40 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों (मिट्टी खड़न्जा, इण्टरकोट एवं पेंटिंग) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 30 जनपदों में फेजवार एवं सम्पर्क मार्ग एवं बसावटों का कार्य लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है।

पंचायतीराज विभाग

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 59,346 विद्यालयों में तथा 14.115 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्मित कराए गए हैं और 1,221 महिला शौचालय काम्प्लेक्सों का निर्माण भी कराया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 31.61 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण प्रस्तावित है। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में से 1438 ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड व पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम के हिसाब से कुल 1,08,848 सफाई कर्मी के पदों का सृजन किया गया है और अभी तक कुल 77,817 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा चुकी है।

संविदा पर नियुक्त सफाई कर्मियों का न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक 73 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया।

नगर विकास

12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त नागर निकायों को रु0 103.40 करोड़ की धनराशि नगरों के विकास एवं सफाई आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में आवंटित की जा चुकी है। उक्त धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध पर अवशेष धनराशि नगरों के विकास इत्यादि पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

सरकार द्वारा नगरों हेतु अपने विकास परिदृश्य के परिपेक्ष्य में शहरी गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर पहल करते हुए **"मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना"** प्रदेश में लागू की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में **रु0 1267.00 करोड़** का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 1,01,000 आवास बनाये जाने है।

प्रथम चरण में प्रदेश के 60 जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासों तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासों कराया जा रहा है। द्वितीय चरण में 1,01,000 आवासों का निर्माण कराया जाना हैं।

सरकार का उद्देश्य शहरों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है, जिससे कोई भी नगरीय निकाय विकास की मुख्य धारा से अलग न होने पाये। इस हेतु प्रदेश के कम जनसंख्या वाली ऐसी छोटी नगरीय निकायों, जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से आच्छादित नहीं हो पाये हैं, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु **आदर्श नगर योजना** लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अधिकांश निकायें अपने निजी स्रोतों से अवस्थापना सम्बन्धी कार्य कराने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। अतः नागर निकायों में जनहित से जुड़े तात्कालिक महत्व के अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों हेतु नागर निकायों के प्रस्ताव पर उन्हें ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु **'मा0 कांशीराम नगर विकास योजना'** क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों के लिए सर्वजन हिताय शहरी गरीब मकान (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना शुरू की है। इस योजना से शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले 1.40 करोड़ लोग लाभन्वित होंगे। योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को अधिकतम 30 वर्ग मीटर की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

वर्तमान सरकार ने मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कालोनियों एवं आवासों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

69100 आवासीय इकाइयों का निर्माण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा 30900 आवासीय इकाइयों का निर्माण विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

गरीबों को उनकी क्रय क्षमता में लाने एवं सस्ते भवन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से दुर्बल वर्ग योजना में 15 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा 15 प्रतिशत ओवरहेड चार्जेज न लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

कुल 19972 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई जिससे रु0 59.86 करोड़ स्टैम्प शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति हुई।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से मलिन बस्तियों के निवासियों को स्वच्छ पेय जल, जल प्रवाहित शौचालय, स्वास्थ्य, आश्रम एवं स्वरोजगार आदि सुविधाएं

उपलब्ध करायी जाती है। निःशुल्क आवास हेतु मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना भारत सरकार के कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से नगर विकास विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत 01 लाख आवास चरण बद्ध रूप से बनाये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 4310.51 लाख व्यय कर 0.62 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं 5.40 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं को जन-साधारण तक पहुंचाना तथा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में संचालित उचित दर की दुकानों में विकलांग जन के निमित्त पूर्व से प्रस्तावित दो प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त दृष्टि बाधित विकलांग जन के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त हॉरीजेन्टल आरक्षण का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में दृष्टिहीन विकलांग का कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अभियान चलाकर कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

खाद्यान्न की कमी वाले सूखा एवं दैवीय आपदा से प्रभावित बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित जनपदों में कुल 781 ग्रामीण खाद्यान्न बैंक स्थापित किये गये हैं। इन बैंकों से प्रति बैंक 40-40 अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे परिवार सम्बद्ध किये जायेंगे जिन्हें खाद्य दी जानी अत्यंत आवश्यक हो।

वर्ष 2008-09 में 31.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खेती एवं 17.79 लाख मीट्रिक टन धान की खेती की गयी है।

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर जिला मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग

प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 1995-96, 1997-98 एवं 2002-03 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के लगभग सभी अपूर्ण/अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही इन ग्रामों के पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्रत्येक विधान सभा से पांच-पांच ग्राम सभाएं चयनित की गयीं एवं वर्ष 2008-09 में प्रत्येक विधान सभा से दस-दस ग्राम सभायें चयनित कर ग्राम सभाओं के सभी राजस्व ग्रामों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सबसे बड़े मजरे को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। 3000 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण तथा 2500 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की बजट व्यवस्था है, जिससे 3500 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। 3000 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्र में गरीब जनता को आवास उपलब्ध कराने हेतु मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली आवासीय कालोनियों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं के आबादी भागों में लो0नि0वि0 द्वारा 15 जनपदों में सीमेंट कंक्रीट रोड/पक्की कवर्ड नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष कुल 925 कि0मी0 सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 750 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 में प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2,600 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के 1500 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में कुल 100 सेतु परियोजनायें पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 34 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 1,33,693 कि0मी0 राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्य हेतु व्यवस्था की गई है।

समाज कल्याण विभाग-

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समय पर पारदर्शी तरीके से करने हेतु वर्तमान सरकार सदैव बल देती रही है।

कक्षा-1 से 8 तक समस्त अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तथा सामान्य जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्रियों को छात्रवृत्ति पंचायत स्तर पर गठित समिति के माध्यम से दी जाती है तथा कक्षा 9 एवं 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 1423.02 करोड़ की व्यवस्था से अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति को मिलाकर 1.47 करोड़ पात्र छात्रों को लाभान्वित किया जाना है जिनमें से अब तक अनुसूचित जाति तथा सामान्य जाति के छात्रों को सम्मिलित करते हुए 1.42 करोड़ छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है जो 96.60 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में सुधार लाया गया है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वृद्धजन जो बी0पी0एल0 सूची 2002 की परिवार सूची में सूचीबद्ध हैं, को 300/-प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। उपरोक्त श्रेणी के

65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को भारत सरकार द्वारा 200/-रु0 प्रतिमाह केन्द्रांश एवं राज्य सरकार का अंशदान 100/-रु0 प्रतिमाह मिलाते हुए 300/-प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा जो ग्रामीण क्षेत्र में 19884/-रु0 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 25546/-रु0 वार्षिक है, के नीचे निवासरत् परिवारों के मुख्य कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य हो, की मृत्यु होने पर एक मुश्त रु0 20,000/-आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

शादी बीमारी योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अर्थात् शहरी क्षेत्र में रु0 25,546/-वार्षिक आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/-वार्षिक आय तक के अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु 10,000/-रु0 तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु 5,000/-रु0 तक की सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों की शादी हेतु सहायता राशि रु0 10,000/- से बढ़ाकर रु0 20,000/- कर दी गयी है साथ ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र के शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है।

आर्थिक उत्थान की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों एवं अस्वच्छ पेशे में लगे स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों की बेरोजगारी दूर करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण/क्रय योजना, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना, धोबी समाज के लोगों के लिए ड्राई क्लीनिंग एवं लाण्ड्री व्यवसाय हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना, अस्वस्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के लिए स्वच्छकार विमुक्त एवं उनके पुनर्वासन की योजना संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अन्य प्रदेशों की भांति जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध एवं प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत (केन्द्र पुरोनिधानित योजना 50 : 50) की सहायता से संचालित है।

संस्थान द्वारा वर्ष 2008-09 में 06 शोध, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2008-09 में 20 सत्रों द्वारा 600 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

जनजाति विकास योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 में रु0 40.46 करोड़ का प्राविधान किया गया।

अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति की घटक योजना के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में वर्ष 2008-09 में रु0 34.8002 करोड़ के आय व्ययक प्राविधान है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में पिछड़े वर्ग के कुल 1,93,26,584 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए वर्ष 2007-08 से शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में अनुमन्य दरों के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजना वर्ष 2007-08 से संचालित है। शादी हेतु रु0 10,000/- तथा बीमारी हेतु रु0 5,000/-प्रति लाभार्थी सहायता दी जा रही है। इससे 58,659 लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु विभाग निरन्तर प्रयत्नशील एवं कृत संकल्प है ताकि इस वर्ग का समग्र विकास हो सके और यह वर्ग भी विकास की मुख्य धारा में आ सके।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

अल्पसंख्यकों में अशिक्षा तथा बेरोजगारी अन्य वर्गों की तुलना में अत्यधिक है। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी परम्परागत शैक्षिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सुदृढ़ करने तथा अल्पसंख्यकों के बीच कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत 31-12-2008 तक 27,04,620 छात्र/छात्राओं को रु0 10,679.41लाख की धनराशि से लाभान्वित किये जाने हेतु धनराशि का स्थानान्तरण किया जा चुका है।

प्रदेश की 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनसंख्या वाले जिलों में मल्टीसेक्टरल प्लान नामक योजना वर्ष 2008-09 में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत रु0 500 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग योजना के अन्तर्गत ऐसे अभिभावकों जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगने से कम अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र रु0 40,000.00 तथा शहरी क्षेत्र हेतु 51,000/-वार्षिक है, के अभ्यर्थियों को योजना के अन्तर्गत राष्ट्र/राष्ट्र स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रु0 15,000/-प्रति अभ्यर्थी दिये जाने की व्यवस्था है।

व्यावसायिक एवं कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न जनपदों में सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, बेल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल, रफ्रीजेशन, एयरकन्डीशन/फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों से अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। चालू वर्ष 2008-09 में 250 अभ्यर्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

सैनिक कल्याण विभाग

राज्य सरकार, प्रदेश के पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रिता की समस्याओं के निराकरण तथा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु सतत् प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा निर्धारित

नीतियों के आधार पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा पुष्टाहार विभाग

महिला कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु रु0 300/-प्रतिमाह की दर से अनुदान प्रदान किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में अनु0 जाति की निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान की राशि रु0 10,000/-से बढ़ाकर रु0 20,000/-कर दी गयी है। किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं निर्देशन सेवायें तथा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के सापेक्ष्य बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्म निर्भर बनाने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 जनवरी, 2009 से **"महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना"** भी प्रारम्भ की गयी है।

विकलांग कल्याण

जनपद मेरठ में दृष्टिबाधित बालकों के लिए इण्टर कालेज की स्थापना की गयी। जनपद गोरखपुर में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज की स्थापना की गयी।

लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जनपद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं इलाहाबाद तथा जनपद लखनऊ व गोरखपुर में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिये 100-100 कमरों के छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

स्पर्श विद्यालय, बांदा को हाई स्कूल से उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट तक किया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवा में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मिल रहे वाहन भत्ते को दोगुना किया गया।

खेल विभाग

वर्तमान समय में पूरे विश्व में खेलों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रदेश में 56 स्टेडियम, 53 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, 26 तरणताल, 02 स्पोर्ट्स कालेज, 03 क्रीड़ा संकुल सैफई (इटावा), म्योहाल (इलाहाबाद), अमेठी (सुल्तानपुर), 04 सिन्थेटिक हाकी एस्ट्रोटर्फ, 01 सिन्थेटिक रनिंग ट्रेक, 02 सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट तथा एक फिजियोथेरेपी केन्द्र, 01 जूडो हाल, 02 वेटलिफ्टिंग हाल, 18 छात्रावास भवन निर्मित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 09 स्टेडियम, 13 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल तथा 07 तरणताल एवं 02 एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान, 06 वेटलिफ्टिंग हाल, 01 जूडो हाल तथा 02 छात्रावास निर्माणाधीन है।

प्रदेश के 17 जनपदों में विभिन्न खेलों के आवासीय छात्रावास स्थापित हैं जिनमें 110 बालिकाएं एवं 630 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

युवा कल्याण विभाग

ग्रामीण युवाओं की खेल के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने एवं उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न करने के क्रम में विकास खण्ड से मण्डल स्तर तक की खेल प्रतियोगितायें आयोजित करायी जा रही हैं। सोलह वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं की राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें सम्पन्न कराकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रतिभाग कराया जा रहा है।

राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक कार्यक्रमों में युवाओं का योगदान हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के अन्तर्गत विकास खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर तथा विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

ग्राम स्तर पर युवकों को खेलकूद सुविधाएं मुहैया कराने हेतु भारत सरकार की सहायता से पायका योजना लागू की गई है।

आबकारी विभाग

उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार समाप्त करने, नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में आशानुकूल वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2008-09 में लागू की गई।

प्रदेश में 155 चीनी मिलें हो गई हैं। शीरे का उपयोग आसवनियों में अल्कोहल उत्पादन के अतिरिक्त आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कोयला टिकली, पशु एवं कुक्कुट आहार, बेकर, यीस्ट, कार्बन एवं ढलाई उद्योग में किया जाता है। शीरा वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 2008 तक शीरे का उत्पादन 99.99 लाख कुन्टल हुआ है, जो गतवर्ष की इसी अवधि में उत्पादित शीरे 76.77 लाख कुन्टल के सापेक्ष 30.25 प्रतिशत अधिक है, शीरा वर्ष 2008-09 में दिसम्बर, 2008 तक 37.65 लाख कुन्तल शीरे का उपयोग प्रदेश में किया गया है।

प्रदेश में मद्य निष्कर्षण एवं अवैध मादक वस्तुओं की तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों के अतिरिक्त 18 प्रवर्तन इकाइयां भी कार्यरत हैं, जो अनवरत अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध मादक वस्तुओं की तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रयासरत होती है। वर्ष में चार बार विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर भी अवैध मदिरा व्यापार को रोकने का कार्य किया जाता है।

वर्ष 2008-09 में (अप्रैल, 2008 से नवम्बर, 2008 तक) किये गये अपराध शमन कार्य के अन्तर्गत अवैध मदिरा के 62412, भांग के 2624, गांजा के 09, अफीम/डिनेचर्ड स्प्रिट के 01 तथा अन्य प्रकार के 1790 अभियोग इस प्रकार कुल 66836 अभियुक्त पकड़े गये हैं तथा 93027.79 ब0ली0 विदेशी मदिरा अपहृत की गई। पकड़े गये इन अभियोगों में से 77 अभियुक्त अति महत्वपूर्ण श्रेणी के हैं। कुल 170 वाहन जब्त किये गये हैं एवं 5559 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। इस वर्ष पकड़े गये विशेष अभियुक्तों में 17 अभियुक्तों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के अतिरिक्त

भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के साथ-साथ गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोगों में भारतीय दण्ड विधान की धारा 272/273 भी लगाये जाने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

भूमि विकास एवं जल संसाधन

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियाजनाओं द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्धन सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। वर्ष 2008-09 में 55.430 हेक्टेयर में प्रक्षेत्र विकास कार्य निष्पादित कराकर 11.35 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर में सोना व प्लेटिनम के नये क्षेत्रों का खोज कार्य जारी है। प्रदेश में मुख्य खनिजों एवं उप खनिजों के उत्पादन के फलस्वरूप लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त है। जनपद सोनभद्र में चाइना क्ले, सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर/सिलिमीनाइट का खोज गतिमान है।

खनिज के परिवहन हेतु लगभग 87.76 कि0मी0 सड़क का निर्माण किया गया है तथा जनपद झांसी, सोनभद्र व इलाहाबाद में खनिज भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के स्वयं सहायता समूह 'स्थानीय स्तर पर 20-20 या 25-25 के स्वयं सहायता समूह' बनवा कर पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे लगभग एक तिहाई खनन के क्षेत्रों में इन स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इससे जनपद का दैनिक श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान हो सकेंगे।

प्रदेश के मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों के लिये निजी कम्पनियों को रिकोनेयसेन्स परमिट निर्गत किये गये हैं। इनमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बहुमूल्य धातुओं एवं हीरे की खोज प्रमुख है। इसी प्रकार तेल की खोज के लिए भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेन्स (पी0ई0एल0) स्वीकृत किये गये हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खनिज राजस्व प्राप्तियों के दुगुना होने की संभावना है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग

सार्वजनिक उद्यम विभाग की परिधि में कार्यरत 39 उपक्रमों में से प्राप्त अनन्तिम सूचना के अनुसार राज्य सरकार का अंशपूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में रु0 21609.43 करोड़ निवेशित था। इन 39 उपक्रमों में से 28 उपक्रमों द्वारा रु0 369.93 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया तथा 11 निगमों द्वारा रु0 1078.52 करोड़ की शुद्ध हानि वहन की गयी।

परिवहन

प्रदेश के 19 संभागीय 52 उप संभागीय एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय सहित कुल 72 कार्यालयों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त तक 38 परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक 12 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण होने की संभावना

है। पाइलट स्कीम के अन्तर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु **"सारथी साफ्टवेयर"** आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में बढ़ते व्यवसायिक वाहनों की संख्या के दृष्टिगत वाहनों को फिटेनस प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु इनका पूर्ण टेस्ट किया जाना आवश्यक है। ऐसे परीक्षण हेतु पूर्णतः आधुनिक मशीनों एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित कार्यशाला स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 की धारा 17 (1) (बी) की व्यवस्थानुसार प्रदेश में पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत विश्वस्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रत्येक संस्थान के लिए लगभग 15 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा उस पर निर्माण तथा संचालन का दायित्व प्राइवेट कम्पनी/व्यक्ति/फर्म का होगा।

प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ और मधुर बनाया जाय। इसी कड़ी में उ0 प्र0 सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के साथ समझौते किये गये। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य अनुपूरक करार एवं हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार की प्रक्रिया गतिशील है।

महानगर परिवहन सेवा के अन्तर्गत यात्रियों को अच्छी सेवा देने हेतु लो-फ्लोर वातानुकूलित एवं लो-फ्लोर साधारण बसों का संचालन किया जा रहा है जिसकी जनसाधारण द्वारा सराहना की जा रही है।

पर्यटन विभाग

पर्यटक स्थलों एवं समय-समय पर सम्पन्न होने वाले मेले महोत्सवों के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। वर्ष 2008-09 में सुल्तानपुर पर्यटन परिपथ एवं अमेठी पर्यटन परिधि के विकास हेतु रु0 999.84 लाख तथा वाराणसी-सारनाथ रामनगर को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किये जाने हेतु रु0 1416.31 लाख की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र के पर्यटन विकास मिर्जापुर (विन्ध्याचल) में त्रिकोण मार्ग का पर्यटन विकास, वाराणसी में स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग की स्थापना, प्रदेश के वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म का विकास, बुन्देलखण्ड परिपथ के अन्तर्गत गढ़मऊ लेक, हुकवों बांध/जल प्रपात एवं बरुआ सागर किला/झील का विकास एवं आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी में पैकेज टुअर्स की स्थापना हेतु 8 बसों का क्रय किया जाएगा।

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग

बाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/देशों की सहायता से चल रही परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शासन की नीतियों एवं संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराना एवं शासन के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में जनता के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले निविदा सूचनाओं बैकलाग भर्ती सम्बन्धित सूचनाओं को विभागीय बेवसाइट पर डालने तथा नित्य-प्रति जारी होने वाली प्रेस-विज्ञप्तियों को विभिन्न समाचार पत्रों को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने तथा विभागीय बेवसाइट पर डालने की व्यवस्था की गयी।

सचूना विभाग द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा फिल्मों का प्रदर्शन, होर्डिंगों, प्रदशर्नियों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को फोटो/वीडियो कवरेज आदि का व्यापक रूप से उपयोग कर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित होने वाली पल-पल के समाचारों से भिज्ञ रहने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल का गठन किया गया है, जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित समाचारों की रिकार्डिंग का कार्य करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

सामाजिक तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है।

राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 17909 राजस्व गांवों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित **'जनसेवा केन्द्रों'** की स्थापना की जा रही है। उक्त योजना निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से क्रियान्वित की जा रही है जिसे माह अप्रैल, 2009 तक पूर्ण होने की संभावना है। इन केन्द्रों से स्थानीय स्तर पर जन सामान्य को विविध प्रकार की सूचनायें/सेवायें सुलभ हो सकेंगी।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक प्रशासन लागू करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों/विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनमानस को त्वरित सूचनायें उपलब्ध कराने के लिए **"लोकवाणी"** नामक परियोजना को समस्त जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्र में शोध, प्रौद्योगिकी प्रवर्तन, पेटेन्ट सेल, जैव प्रौद्योगिकी क्षमता विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन, नक्षत्रशाला समाज विशेषकर बच्चों के लिये शैक्षिक साधन, वैज्ञानिक जागरूकता का जनमानस में प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसिद्धि तथा प्रचार आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा शोध प्रायोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के माध्यम से कराया जाता है। वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध के लिये विशेष रूप से प्रोत्साहित किया

जाता है। शोध एवं विकास हेतु आधारभूत ढांचा कैपेसिटी बिल्डिंग तथा मानव संसाधन के उर्च्चीकरण हेतु दो क्षेत्रों यथा-इन्सेफलाइटिस रिसर्च तथा मैटीरियल साइंस (नैनोमैटेरियल्स) में सेंटर आफ एक्सीलेन्स स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2008-09 में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना, माइक्रोवेव रिमोट सेन्सिंग डाटा अधिग्रहण एवं प्रदेश के चयनित शहरों में मलिन बस्तियां का चिन्हीकरण तथा वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के रेखांकन सम्बन्धी कार्य प्रमुख रूप से व्यवहृत किये जा रहे हैं।

वन विभाग

वन प्रकृति की अमूल्य निधि है। सामाजिक वानिकी, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण तथा अवनत वनों का सुदृढ़ीकरण योजनाओं के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृक्षाच्छादन कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार इस प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास के लिए कटिबद्ध है। विन्ध्य व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बॉस रोपण योजना तथा पौधशाला प्रबन्धन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2008-09 में सामान्य वृक्षारोपण के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पौधरोपण के विशेष अभियान के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा 4.52 करोड़ पौध रोपण किया गया। वर्ष 2007-08 में वन विभाग द्वारा रु0 290.99 लाख की राजस्व की प्राप्ति की गयी।

कृषि फसलों को वन रोजों (नील गाय) द्वारा पहुंचायी जा रही क्षति से बचाने के लिए उन्हें मारने/नष्ट करने की अनुज्ञा देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। इसके लिए समस्त जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त समस्त तहसीलदार तक को एवं वन विभाग के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के अतिरिक्त समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, सहायक वन संरक्षक व वन क्षेत्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

पर्यावरण विभाग

वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों के अवसर पर समारोहों, समस्त जनपदों में स्कूली बच्चों हेतु पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में पर्यावरण फिल्म समारोह का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण किया गया। विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 60 जनपदों में जिला योजना के अन्तर्गत भी पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत निदेशालय हेतु एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार कराई जा रही है। ई-गवर्नेस के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्टों/उत्प्रवाह के सुव्यवस्थित निस्तारण हेतु अपशिष्ट प्रबन्ध सुविधाओं की स्थापना, परिसंकटमय रसायनों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हेतु आपदा प्रबन्ध योजना तैयार कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बहुउद्देशीय पर्यावरणीय प्रबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए एक राज्य प्रशिक्षण और शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं का प्रभावशाली रूप से निदान किये जाने हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1974 को 'जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड' का गठन किया गया था।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग राजस्व अर्जन की दृष्टि से व्यापार कर विभाग के पश्चात प्रदेश में दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। पक्षकारों के मध्य होने वाले सम्व्यवहारों/निष्पादित विभिन्न प्रकार के लेख-पत्रों का पंजीकरण कर एवं उन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है तथा इन लेख-पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनके पक्ष में अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने हेतु सीमा रु0 1.00 लाख से रु0 10.00 लाख अधिसूचना दिनांक 19-12-2008 द्वारा कर दिया गया है। जनता को प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में राहत देने की दृष्टि से अधिसूचना दिनांक 30-6-2008 द्वारा स्टाम्प शुल्क की दर 08 प्रतिशत से घटाकर 05 प्रतिशत तथा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित होने वाले अन्तरण विलेखों में कतिपय शर्तों के अधीन स्टाम्प की दर से 06 प्रतिशत से घटाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है। यह छूट 06 माह के लिए प्रभावी था जिसे एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।

मनोरंजर कर विभाग

मनोरंजन क्षेत्र में प्रगतिशीलता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में केबिल संचालकों तथा केबिल उपभोक्ताओं के विवादों तथा समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु प्रत्येक जिले में समितियां गठित की गयी हैं। जनता को आधुनिक तकनीक से युक्त मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के लिए मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रथम प्रदर्शन से प्रथम तीन वर्ष 100 प्रतिशत एवं आगामी 02 वर्षों तक 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है तथा प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों को तोड़कर सिनेमा हाल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण करने वाले छविगृहों हेतु प्रोत्साहन योजना लागू है।

प्रशासनिक सुधार विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत समस्त विभागों के 16 विभिन्न श्रेणी की सूचनाओं को बेवसाइट पर अपलोड करने की प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय द्वारा जनवरी, 2008 से माह नवम्बर, 2008 तक 1388 विभिन्न राजकीय कार्यालयों में संगठन एवं अभिलेखीय प्रबन्धन में सुधार हेतु निरीक्षण/वीक्षण किया गया है। पूर्ववर्ती अवशेष 7903 व नवीन वादों में से माह नवम्बर, 2008 तक कुल 16634 वादों का निपटारा किया गया है और शेष 14229 पर कार्यवाही चल रही है।

कार्मिक विभाग

वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा आरक्षित श्रेणी की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरे जाने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित रही। बैकलाग रिक्तियों को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया गया।

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति को सम्मिलित करते हुए कुल 44766 पद बैकलाग के अन्तर्गत चिन्हित किये गये हैं, जिनके सापेक्ष अब तक 28682 पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही की जा चुकी है, जो कुल चिन्हित रिक्तियों का 64.07 प्रतिशत है। अवशेष पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

शासनादेश दिनांक 18-8-2007 द्वारा राज्य सरकार की सहायता से निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों इत्यादि में सृजित कुल रोजगार का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक तथा 10 प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया।

शासनादेश दिनांक 11-1-2008 द्वारा निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों, जिनमें राज्य सरकार की पूंजीगत भागीदारी 11 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत है, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया।

शासनादेश दिनांक 23-01-2008 द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।

वर्तमान लोकप्रिय सरकार द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अधिसूचना दिनांक 20-10-2008 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में क्रीमीलेयर की पूर्व में निर्धारित 3 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2008-09 में जीवन रक्षा पदक हेतु कुल 04 व्यक्तियों का चयन कर राज्य सरकार की संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजा जा रहा है। अशोक चक्र श्रंखला के पुरस्कारों हेतु एक मुश्त धनराशि अशोक चक्र हेतु रु0 40,000/-, कीर्ति चक्र हेतु रु0 25,000/-तथा शौर्य चक्र हेतु रु0 10,000/-तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः 400/-, 300/- तथा 200/-की धनराशि प्रदान की जाती थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर (सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, 2008 में हुये निर्णयानुसार) अशोक चक्र श्रंखला हेतु रु0 25,00,000/-रु0 15,00,000/-तथा रु0 10,00,000/- तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः रु0 1,20,000/-, रु0 1,00000/- तथा रु0 50,000/- कर दिया गया है। महारानी अहिल्या बाई होल्कर पुरस्कार के अन्तर्गत खेलकूद साहित्य तथा वीरता से सम्बन्धित व्यक्तियों को पुरस्कार दिये जाते हैं। इस पुरस्कार में रु0 1,00,000 की धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

सचिवालय प्रशासन विभाग

सचिवालय के विभिन्न भवनों एवं परिसरों में आगन्तुकों एवं वाहनों के प्रवेश के सम्बन्ध में स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जा रही है तथा अवांछित एवं संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने के लिये सी0सी0टी0वी0 स्थापित किये जाने की योजना हैं।

न्याय विभाग

मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के नवीन भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के लिये रु0 42.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा भूमि पर न्याय विभाग का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। रिट याचिकाओं के डिजिटाइजेशन, याचिकाओं की स्कैनिंग, इण्डेक्स, ई-मेल आदि के लिये रु0 53.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। नव सृजित जनपद कांशीराम नगर में जनपद स्तरीय 05 न्यायालयों का सृजन किया गया है। शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के 17 जनपदों में सपोर्टिंग स्टाफ सहित प्रत्येक जनपद में मा0 न्यायाधीशों के लिए प्रोटोकाल आफिसर के पद सृजित किये गये हैं।

15 जनपदों में पेटी अफेन्सेज के मामलों की सुनवाई हेतु 17 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी है। 7 जनपदों में पारिवारिक न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी हैं 17 मण्डल मुख्यालयों में गठित गैंगेस्टर कोर्ट में 17 पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी हैं गैंगेस्टर की धारा 5(1) के अन्तर्गत सृजित विशेष न्यायालय गोरखपुर एवं आगरा में क्रमशः एक व चार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय एवं समाज के अन्य वर्गों के बीच सामाजिक समरसता करने हेतु सतत प्रत्यनशील है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रोन्नति एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में सुझाव देने हेतु राज्य एकीकरण परिषद् गठित है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन योजना, कौमी एकता सप्ताह का आयोजन, गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, जिला एकीकरण समितियों को सहायता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अखण्डता दिवस मनाये जाने वाले कार्यक्रमों तथा महान विभूतियों के जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

भाषा विभाग

भारतीय भाषाओं के विकास कार्य के लिए उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, उ0प्र0 भाषा संस्थान, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, उ0प्र0 उर्दू अकादमी, उप्र0 पंजाबी अकादमी, उ0प्र0 सिंधी अकादमी एवं स्व0 फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी आदि संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि कमेटी आदि संस्थान स्थापित हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से प्रदेश के पांच जिलों में भारतीय भाषा केन्द्रों में संविधान की अनुसूची में उल्लिखित 13 भाषाओं का पठन-पाठन व निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

भारतीय अस्मिता एवं इनकी संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रदेश में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 2008 तक वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें देश के सभी प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालय/संस्थानों की सहभागिता प्राप्त हुयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 28 नवम्बर से 02 दिसम्बर तक पंचदिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन वाराणसी में प्रस्तावित है। संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किये जाने हेतु मा0 कांशीराम स्वाभिमान सम्मान पुरस्कार रु0 2.50 लाख, रमाबाई महिला साहित्य सम्मान पुरस्कार रु0 2.00 लाख, संत कबीर सम्मान पुरस्कार रु0 1.50 लाख, संत नामदेव सम्मान पुरस्कार रु0 1.50 लाख, संत रामदास सम्मान पुरस्कार रु0 1.50 लाख पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पुर्नगठन समन्वय विभाग

राज्य परामर्शीय समिति की अब तक 67 बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। इन बैठकों में समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा विभागों/उप विभागों के कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य के आवंटन सम्बन्धी लगभग 99 प्रतिशत से अधिक के कार्य को पूर्ण किया जा चुका हैं भारत सरकार द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2009 तक पुनः बढ़ाया गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग

सचिवालय परिसर में भूमिगत/बहुमंजिली पार्किंग एवं लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने सचिवालय के विस्तारीकरण एवं पार्किंग की योजना है। विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी है।

सतर्कता विभाग

जनपद को स्वच्छ प्रशासन देने, लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा उनके विरुद्ध कदाचार, अनाचार, तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही करने की दिशा में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा शासन को प्रेषित जांच आख्याओं में 41 मामलों में 46 राजपत्रित एवं 94 अराजपत्रित कुल 140 लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही, 04 मामलों में 05 राजपत्रित लोक सेवक तथा 07 अराजपत्रित लोक सेवक को वृहद दण्ड तथा 43 मामलों जिनमें 63 राजपत्रित एवं 65 अराजपत्रित कुल 128 लोक सेवकों को लघुदण्ड/विभाग स्तर पर कार्यवाही तथा 48 मामलों में खुली जांच अथवा अन्वेषण की संस्तुति मुख्य रूप से की गयी।

संस्कृति विभाग

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 कला एवं संस्कृति के उन्नयन, संगति, शिक्षा, ललित कलाओं की प्रोन्नति, अभिलेखों के अधिग्रहण, उपचार, पुरातात्विक एवं कलात्मक विधि के संरक्षण एवं सांस्कृति कला के प्रदर्शन का कार्य अपनी विभिन्न योजनाओं से सम्पादित कर रहा है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ, मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल (पूर्ववर्ती डा0 भीमराव अम्बेडकर मैदान) तथा शारदा नहर के किनारे बौद्ध विहार शान्ति उपवन में संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित करायी जा रही मूर्तियों/कलाकृतियों के निर्माण सहित कतिपय अन्य प्रस्तावित कार्यों का निर्माण उच्च विशिष्टियों के साथ कराया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 से मान्यवर श्री कांशीराम कला सम्मान पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त कलाकारों को दिया जाता है। पुरस्कार के अन्तर्गत रु0 1.51 लाख की धनराशि, अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र सम्बन्धित कलाकार को भेंट की जाती है।

विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान/जैन विद्या शोध संस्थान एवं पंजाबी एकेडमी के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण बनाए रखने हेतु अयोध्या में अनवरत रामलीला का लगातार मंचन किया जा रहा है। अयोध्या के समन्वित विकास हेतु शिल्प ग्राम का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल का निर्माण की योजना को क्रियान्वित कराया जा रहा है।

संस्कृति विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर प्रेक्षागृहों एवं मुक्ताकाशी मंचों का निर्माण कार्य को एक परियोजना के रूप में लेते हुए यह प्रयास किया जायेगा।

राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों, स्थानीय निकाय के कार्मिकों, शिक्षकों व जूनियर डाक्टरों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश विकास पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे, ताकि प्रत्येक वर्ग को विकास का लाभ मिल सके। मेरी सरकार प्रदेश को बहुमुखी विकास के रोल माडल के रूप में स्थापित करने हेतु कटिबद्ध है एवं इसमें समस्त मा0 सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। मा0 सदस्यगण मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों व योजनाओं का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस सत्र में वर्ष 2008-09 की द्वितीय अनुपूरक मांगें व 2009-2010 के आय-व्ययक को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही कुछ विधेयक भी आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिन्हें पारित करने हेतु आपका सहयोग अपेक्षित होगा।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की खुशहाली व चतुर्दिक विकास हेतु आप इस पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा सदन की गरिमा व पवित्रता को बनायें रखेंगे। शुभकामनाओं के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये मैं आपका आह्वान करता हूं।

जयहिन्द।]

डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-07 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008 †

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-08 सन् 2008) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2008 ††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अधिसूचना संख्या-2444/79-सं-1-2008-53सं-2002, दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय

क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त. 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हो गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की

दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 अगस्त, 2008 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी

दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 सितम्बर, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 अगस्त, 2008 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2008 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 सितम्बर, 2008 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2008 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 फरवरी, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 10 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 11 फरवरी, 2009 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 12 फरवरी, 2009 को भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

3-दिनांक 13 फरवरी, 2009 को नियम 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।

4-दिनांक 16 फरवरी, 2009 को नियम 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं तथा असरकारी दिवस न हो।

5-दिनांक 19 फरवरी, 2009 को असरकारी दिवस (आधा दिन) हो।

6-दिनांक 10 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2009

10 मंगलवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12.30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

11 बुधवार निधन के निर्देश।

12 गुरुवार (1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

13 शुक्रवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

(1) वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

14 शनिवार
15 रविवार } बैठक नहीं होगी।

16 सोमवार 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।

2-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-विधायी कार्य।

17 मंगलवार वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

18 बुधवार वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

19 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (13 फरवरी, 2009 के स्थान पर)

20 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 शनिवार
22 रविवार } बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार (महाशिवरात्रि अवकाश)

24 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
25 बुधवार 26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
27 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में बजट अनुदान की मांगों पर चर्चा का समय तीन दिन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आपकी इजाजत हो।

मान्यवर, अभी तक परम्परा रही है, कार्य-मंत्रणा समिति की जो संस्तुति है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यह परम्परा है कि कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति पर कोई बात नहीं कही जाती है। वहां भी बहुमत होता है और यहां भी बहुमत है, यह पास हो जायेगा। लेकिन इस कार्य-मंत्रणा समिति का, जो 3 दिन का बजट की मांगों पर चर्चा का प्रस्ताव है यहा शायद 60 साल में पहली बार है कि सरकार द्वारा यह तीन दिन में बजट पास करने का प्रस्ताव लाया जाय। यह सदन की सार्थकता समाप्त करने का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसलिये मैं केवल सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, न आप कुछ कर सकते हैं न हम कुछ कर सकते हैं, यह बहुमत की तानाशाही चाहे जो करा सकती हैं यह बहुमत की तानाशाही लोकतंत्र की बहुत बड़ी बुराई मानी गयी है। इसका उदाहरण है कि तीन दिन के अन्दर अगर मांगों को प्रस्तुत करके मंत्री महोदय केवल 10 मिनट बोले और कट मोशन पेंश करने वाला केवल 5 मिनट बोले, कोई और सदस्य न बोले तब भी पूरी चर्चा क्रमशः मांगों पर नहीं हो सकती। बजट सामान्य प्रस्ताव नहीं होते यह एक साल के लिये इस प्रदेश के भाग्य के निर्माण, विकास की दिशा तय करते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि यह अनर्थ न करें, इस सदन की सार्थकता न समाप्त करें। एक बार यह पास हो जाने पर न जाने कैसे-कैसे लोग आयेंगे सरकारें आयेगी, यह उदाहरण बन जायेगा और कहा जायेगा कि यह सदन की परम्परा है। पहले भी 3 दिन में सरकार ने प्रस्ताव द्वारा बजट पास किया है और इस सदन ने स्वीकार किया है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार पुनः विचार करे। कार्य-मंत्रणा समिति, आपका बहुमत है, बहुमत लोकतंत्र में कहा गया है उसकी एक सबसे बड़ी बुराई है कि अगर बहुमत तानाशाह हो जाय तो वह चाहे जो कुछ कर सकता है। आप प्रस्ताव ला दीजिये कि एक दिन में हो जाय कार्य संचालन नियमावली में जो मिनिमम समय दिया है, उसमें हो जाय, उसको भी लाकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप संशोधित कर सकते हैं, बहुमत के आधार पर। बहुमत अनर्थकारी न हो, कल्याणकारी हो, नियम के अनुसार हो, जनहित में हो, जनभावना के अनुसार हो, संसदीय परम्परा को सुदृढ़, स्वस्थ और मर्यादित रखते हुये जनता की भावना का आदर करने वाला हो, यह तो मान्यवर, विपक्ष के अधिकारों का भी हनन है। हमारा यह अधिकार है कि हम बजट पर विस्तृत चर्चा करें तीन दिन चर्चा कराने से अच्छा है कि आप एक नया प्रस्ताव ला दें कि एक दिन में ही हो जाय। सुबह पेश कीजिये और शाम को पास करा दीजिये। मैं समझता हूं कि मान्यवर, आप इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आने के बाद ही प्रस्ताव पेश करायें तो बड़ी कृपा होगी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा कि सर्वविदित है कार्य-मंत्रणा समिति में सभी पक्षों के सदस्य उसके मेम्बर होते हैं और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, जो भाजपा विधान मंडल दल के नेता हैं, उनकी पार्टी के भी सदस्य इसमें थे। जबरदस्ती मान्यवर, इसमें कुछ नहीं थोपा गया है, सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया है और 3 दिन नहीं 6 दिन अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित किया गया था पहले। कार्य मंत्रणा समिति ने सामान्य बजट की चर्चा के लिये एक दिन बढ़ाकर और अनुदान की मांगों का जो भी प्रस्ताव हम ला रहे हैं, इसमें 5 दिन अनुदान मांगों की चर्चा और उसके पारण का रखा गया हैं इसलिये तीन दिन कहना यह भी अनुचित है जबकि इस प्रस्ताव में स्वयं माननीय भाजपा विधान मंडल दल के नेता देख लें इसमें 5 दिन का प्रस्ताव है और मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की ...

श्री ओम प्रकाश सिंह-

केवल चार दिन का है।

श्री लाल जी वर्मा-

20, 24, 25, 26, 27 इस प्रकार 5 दिन हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

तीन दिन के बदले चार दिन, पांच दिन कह लीजिये लेकिन यह अपर्याप्त है। पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी हुआ हो तो बता दें जब पांच दिन का प्रस्ताव किसी सरकार द्वारा लाया गया हो। यदि आप बता देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। वैसे बजट तो एक ही दिन में पास हो गया ऐसी सरकारें भी आयीं लेकिन मान्यवर, वह परिस्थितिजन्य था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 ओम प्रकाश जी बोल रहे थे तो मैं खड़ा नहीं हुआ तो कृपया आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को मुझे अपनी बात पूरी न कहने देना उचित नहीं है। मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी कार्य-मंत्रणा समिति में थे। यह सरकार संसदीय परम्पराओं को पूरी तरह से पालन करने वाली है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाली है, सबको साथ लेकर चलने की चाहत रखने वाली है और कार्य-मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से एक निर्णय हुआ है इसलिये माननीय नेता, भाजपा विधान मण्डल दल को इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी। मान्यवर, अब दृष्टांत की जहां तक बात आती है तो अगर हम दृष्टांत दिखाने लगेंगे तो ठीक नहीं होगा, उसे मैं भेज दूंगा वह उसे स्वयं देख लेंगे, मैं उसको यहां पर पढ़कर समय नहीं लेना चाहता हूं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल मार्च, 1990 में ऐसा हुआ और पूरे 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर बार-बार यह लोग खड़े होंगे तो उचित नहीं है। मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं अभी मैं बैठ नहीं रहा हूं। मान्यवर, मेरे पास बहुत लम्बे समय से लेकर आज तक के तमाम उदाहरण हैं कि अनुदान मांगों पर कितने दिन चर्चा हुई, कितने दिन उस पर विचार रखा गया और यदि आवश्यकता हो तो मैं इसे सदन के सामने भी रख सकता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितने खराब उदाहरण हैं वह सब इनके पास हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, केवल हमारे पास ही नहीं आपके पास भी हैं। मान्यवर, भाजपा से ज्यादा खराब उदाहरण तो किसी के पास हो ही नहीं सकते। इनका चरित्र कैसा है, चुनाव के समय क्या चरित्र हो जाता है और चुनाव के बाद क्या चरित्र हो जाता है, सत्ता में आने के बाद इनका चरित्र क्या हो जाता है ? मान्यवर, जब चुनाव आता है तो उस समय यह क्या मुद्दा उठा लेते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो दूसरा मुद्दा ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आज का मुद्दा देखें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसलिये इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। चूंकि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश सर्वसम्मति से हुई है उसमें किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की है। इसलिये माननीय नेता, भाजपा विधान मण्डल दल को संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये इस विषय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब आप बैठ जायें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जब उन्होंने कहा तो हमें जवाब तो दे लेने दीजिये। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि संसदीय परम्परा है। मैंने तो यह कहा कि सरकार इस पर विचार कर ले, क्योंकि इस प्रस्ताव से सदन की सार्थकता पर एक अंकुश लग रहा है, उसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सार्थकता समाप्त होगी, यह एक परम्परा बन जायेगी लेकिन जो आपने कहा, मैं भी इस बात का साक्षी रहा हूं कि एक दिन में दो दिन में हंगामे के बीच पूरा बजट प्रस्तुत करके पास कर लिया गया। लेकिन यह तो आप प्रस्ताव लाये थे, सरकार द्वारा सामान्य परिस्थिति में बड़ी सोची-समझी शान्त मन से रणनीति के अन्तर्गत एक प्रस्ताव सदन में लाया गया है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इतने कम दिनों का प्रस्ताव कभी किसी सरकार के द्वारा लाया गया था। ऐसे तो जिस दिन पेश करो उसी दिन पास करा दो, उस दिन हमें कहने का हक नहीं होता। लेकिन आप विधिवत् प्रस्ताव लाये हैं, कार्य-मंत्रणा समिति का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह संसदीय परम्परा है। लेकिन यह परम्परा इसलिये है क्योंकि आपका बहुमत है। आज भी आपका बहुमत है लेकिन क्या कहने का भी हक छीन लोगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव आ गया है, आपका सम्मान है, आप कृपया बैठें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस पर मेरा विरोध है कि सरकार ने कार्य-मंत्रणा समिति का दुरुपयोग किया। यह सरकार बहुमत का दुरुपयोग कर रही है यह बहुत ही सोच-समझ कर सदन की सार्थकता को समाप्त करने वाला बहुमत का फायदा उठा करके लाया गया प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें होती हैं, उसमें सभी दलों की सिफारिशें रहती हैं, यह सभी दलों के सुझाव के आधार पर तैयार होती है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस सदन का सत्र वैसे भी कम होता जा रहा है। बजट सत्र यदि कम हो गया तो मान्यवर, यह निश्चित रूप से संसदीय परम्पराओं का अनादर किया गया है और जनहित का गला बहुमत के द्वारा घोटने का कार्य है और विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है। इतना मेरा कहना है मान्यवर, और आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर सरकार विचार करे।

.ाध्यक्ष-

चौधरी साहब अब क्या रह गया है ?

.: अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो एक स्थापित परम्परा है इस सदन की जितनी सिफारिशें आती हैं मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की। कार्य-मंत्रणा समिति के अन्दर क्या चर्चा हुई और नहीं हुई उसका कोई उल्लेख मान्यवर, यहां नहीं होता है और मान्यवर, जो सिफारिश आती है वह यथावत् रखी जाय, हम इससे पूर्णतया सहमत है। जो आपत्ति माननीय ओम प्रकाश जी ने की है मान्यवर, वह आपत्ति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति की इस प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है। और वो एक वास्तविक गम्भीर बात है, जिसका मान्यवर उन्होंने उल्लेख किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा कोई दृष्टांत अगर रख पाते तो स्वागत करता सदन। इस बात का भी सरकार ने प्रस्ताव किया कि हम इतने कम समय में कर देंगे तो वह बात हो जाती। हम उस पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न यह नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सर्वसम्मति से कार्य-मंत्रणा समिति ने इसको कर दिया। इसका उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत सतर्कता से करना चाहिये क्योंकि श्रीमन्, अगर वह सर्वसम्मति कहें और कार्य-मंत्रणा समिति की किसी दूसरी राय का उल्लेख उसमें बैठा सदस्य अगर उसके बारे में करे तो सदन की परम्परायें टूटेंगी और मान्यवर, इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी को, कोई बात हुई यह तो कह सकते हैं कि भाई कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है, सदन इस पर चर्चा नहीं करेगा, पारित करेगा, यह परम्परा है। हम इस पर खामोश हैं लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति में किसने इसका विरोध किया, या विरोध नहीं किया या सर्वसम्मति से हुआ इसका उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं करना चाहिये और बहुत सर्तकता से यह बात कहनी चाहिये अपनी बात को बल प्रदान करने के लिये तथ्यों को गलत ढंग से नहीं कहना चाहिये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति ने, मैंने या किसी सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मैं यह उल्लेख नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आ गई बात।

श्री अम्बिका चौधरी-

लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी, संसदीय परम्पराओं की गरिमा का ध्यान रखते हुये कभी भी इसका उल्लेख नहीं करना चाहिये। इसलिये श्रीमन् संसदीय कार्य मंत्री को आप यह बतायें।

श्री अध्यक्ष-

यह आप ही बता सकते हैं। आप उनके दोस्त हैं। आप ही सब कुछ कह सकते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

"प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सर्वसम्मति से नहीं। यह गलत है।

श्री अध्यक्ष-

आज क्यों परम्परा डाल रहे हैं ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में टंडन जी थे इसीलिये इनको पसन्द नहीं आ रहा है। केवल इतनी बात है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, विपक्ष के अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है। क्या परम्पराओं को निभाने के लिये विपक्ष ही जिम्मेदार है। सदन जिम्मेदार नहीं क्या ?

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ हैं। निभायेंगे तो आचरण करेंगे लोग ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप आग्रह कर रहे हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सर्वसम्मति से पारित हुआ। मद संख्या-14 में कुछ नहीं। अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 10 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा